अंक 3
संख्या 3

बुधवार
30 अप्रैल
सन् 1947 ई.

भारतीय विधान-परिषद्

के

वाद-विवाद

की

सरकारी रिपोर्ट

(हिन्दी संस्करण)

विषय-सूची

पृष्ठ

1. एडवाइजरी कमेटी का मौलिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्कालीन रिपोर्ट पर विचार..... 1

भारतीय विधान-परिषद्

बुधवार ता. 30 अप्रैल, सन् 1947 ई.

माननीय डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद जी की अध्यक्षता में भारतीय विधान-परिषद् की बैठक कांस्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः 9 बजे आरम्भ हुई।

***अध्यक्षः** मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) विषयक अन्तःकालीन रिपोर्ट (Interim Report) पर विचार करने के लिए हम अब अग्रसर होंगे। हमने वाक्यांश 6 को स्वीकार कर लिया है, और वाक्यांश 5 को स्थगित कर दिया है। कार्य आरम्भ करने के पूर्व मैं निम्नलिखित घोषणा करना चाहता हूं।

'हाउस के 28 अप्रैल के प्रस्ताव के अनुसार कार्यवाहक समिति (Steering Committee) में रियासतों के प्रतिनिधियों में से सदस्यों की जगह भरने के लिए केवल दो नामजदगी के पर्चे—श्री पी. गोविन्द मैनन (कोचीन) और श्री सी.एस. बेन्कचाचर (जोधपुर) के मिले हैं। मैं इन दोनों सज्जनों को कार्यवाहक समिति का नियमानुकूल निर्वाचित सदस्य घोषित करता हूं।'

माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल!

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेलः** कल हम लोगों ने वाक्यांश 5 को स्थगित कर दिया था, क्योंकि हमें उस पर विचार करने के लिए कुछ समय की आवश्यकता थी। उस विषय पर हमने विचार कर लिया है और अब मैं वाक्यांश 5 को पेश करने का प्रस्ताव रखता हूं। हमने कुछ परिवर्तन किये हैं, यद्यपि वे परिवर्तन रस्मी हैं। कुछ भाग निकाल दिये गये हैं और इन परिवर्तनों के लिये रस्मी संशोधन पेश किये जायेंगे। वाक्यांश 5 अब इस प्रकार है—

''सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में समस्त नागरिकों को समान सुयोग मिलेगा।''

''और किसी व्यवसाय, व्यापार कारोबार या पेशे के चलाने'' ये शब्द किसी दूसरे वाक्यांश में लगा दिये गये हैं और वह बाद में आवेंगे। अभी हम इन शब्दों को छोड़ रहे हैं। श्रीयुत मुंशी तत्सम्बन्धी संशोधन पेश करेंगे। हम इस वाक्यांश का तीसरा उप-वाक्यांश इस प्रकार रखेंगे—

> ''केवल धर्म, कौम, जाति, वर्ग, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिये अयोग्य नहीं समझा जायेगा।''

---

*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्तृता का हिन्दी रूपान्तर है।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

इस उप-वाक्यांश के परिवर्त्ती शब्दों के सम्बन्ध में हमने यह निश्चय किया है कि वे यहां अनावश्यक हैं और उनको अन्य किसी स्थान में दिया जायेगा। इसलिए यह भाग जैसा मैंने पढ़ा है वैसा ही रहता है, और उस भाग के सम्बन्ध में बाजाब्ता संशोधन पेश किया जायेगा। तत्पश्चात् वह आदेश है, जोकि इस वाक्यांश का उप-वाक्यांश (2) है। वह इस प्रकार है:

''यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिये जगहें सुरक्षित रखने में राज्य को यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।''

अब अंतिम उपवाक्यांश यह रह जाता है:

''यदि इस आशय का कानून बनाना हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कामों के प्रबन्ध, शासन-प्रबन्ध या देखभाल करने वाले दफ्तर का कर्मचारी या उस संस्था की, प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य उसी विशेष ध र्म या सम्प्रदाय का हो, तो उसमें यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।''

यह पांचवां खण्ड है जैसा कि मैं पेश करता हूं। यदि कुछ संशोधन पेश होने वाले हैं तो बाद में हम उन पर बहस करेंगे। मैं इसे नियमानुसार पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** इस उपखण्ड पर अनेकों संशोधनों की सूचनायें मेरे पास आई हैं। कुछ हमको परसों प्राप्त हुईं और शेष कल मिलीं। लगभग दस या बारह संशोधन हैं और मैं एक-एक करके उनको लेने का प्रस्ताव रखता हूं। श्री मुंशी का संशोधन सब से पहले लिया जायेगा।

***श्री के.एम. मुंशी** (बम्बई : जनरल): मैं पेश करता हूं कि—

1. खण्ड 5 में पहले पैरे को (क) और तीसरे पैरे को (ख) अंकित किया जाये।
2. तीसरे पैरे को पहले पैरे के फौरन बाद में रखा जाये।
3. पहले पैरे से निम्नलिखित शब्द व्यवसाय, व्यापार ''और किसी कारोबार या पेशे के चलाने'' निकाल दिये जायें और तीसरे पैरे से ''या यूनियन में जायदाद प्राप्त करने, रखने या किसी प्रकार दे देने या किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने या करने का निषेध हटा दिया जाये।

इस संशोधन का आशय अधिकारों के दो शीर्षकों को भिन्न-भिन्न वाक्यांशों के अन्तर्गत क्रमबद्ध करना है। सभा यह जान कर खुश होगी कि खण्ड 5 केवल सरकारी नौकरियों से ही नहीं सम्बन्ध रखता है वरन् व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे से भी और जायदाद के प्राप्त करने, कब्जे में रखने और दे देने के अधिकार से भी सम्बन्ध रखता है। यही अधिकार फिर उपखण्ड (8) के अन्तर्गत है और उपखण्ड (8) के अन्त में सरकार को कानूनन कुछ परिस्थितियों में इस स्वतंत्रता को सीमित करने की आज्ञा देने के आदेश रख दिये गये हैं। यह महसूस किया गया कि इन दोनों उपखण्डों में कुछ पुनरुक्ति है। और उचित और तर्कयुक्त विभाग करने के आशय से खण्ड 5 अब केवल सरकारी नौकरियों के लिए सीमित

है। व्यवसाय, व्यापार-कारोबार या पेशे की स्वतंत्रता, जायदाद के प्राप्त करने, कब्जा रखने और दे देने की स्वतंत्रता को खण्ड 8 (ई) के अन्तर्गत रखने के लिए हटा दिया गया है। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप यह वाक्यांश केवल सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में लागू होगा और व्यवसाय, व्यापार इत्यादि और जायदाद सम्बन्धी बातें खण्ड 8(ई) के अन्तर्गत होंगी। श्रीमान् जी मैं यह पेश करता हूं।

***श्री बी. दास** (उड़ीसा : जनरल): खण्ड 5 के (ग) पैरे में यह कहा गया है—

''केवल धर्म, वर्ण, जाति, स्त्री-पुरुष, वंश, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी एक के आधार पर कोई भी नागरिक सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य नहीं समझा जायेगा या किसी भी नागरिक को यूनियन में जायदाद प्राप्त करने, उस पर कब्जा रखने और उसे किसी प्रकार दे देने और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने या उसे करने का निषेध नहीं होगा।''

भारत में आये हुये अनेकों अफगानी राजकुमारों से मुझे परिचय है। इन अफगानी राजकुमारों को अफगान के बादशाह ने दण्ड देकर राजबन्दी की हैसियत से भारत भेज दिया है। भारत में अब भी कुछ ऐसे कैदी हैं, परन्तु इनमें से कुछ राजकुमार भारत में नौकरी नहीं कर सकते हैं और न वे कोई कारोबार कर सकते हैं। अपने सार्वजनिक जीवन में मैं ऐसे कुछ अफगानी राजकुमारी से मिला हूं। उन्होंने कहा कि हम मुसीबत में हैं और पुरानी भारतीय सरकार में भी नौकरी नहीं पा सके हैं। क्योंकि अंग्रेज अफगान सरकार से मिल कर उन्हें किसी प्रकार भी स्वतंत्र नागरिक के समान आचरण करने की आज्ञा नहीं देते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि भारत में पैदा हुए अफगानी राजकुमारों को जिनमें से अधिकांश को अफगानिस्तान प्रवेश का निषेध है और भारत में रहना ही पड़ता है, भारतीय नागरिकों के समान सरकारी नौकरियों के प्राप्त करने का अधिकार होगा या नहीं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस वाक्यांश के एक रचयिता ने इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों पर पहले से विचार कर लिया है या नहीं।

***कुछ माननीय सदस्यगण:** जो कुछ श्री दास ने कहा हम नहीं समझ सके हैं—उनको सुन न सके।

***अध्यक्ष:** श्री बी. दास, जो कुछ आपने कहा उसे सदस्यगण नहीं समझ पाये हैं। क्या आप कृपा कर ध्वनिवर्धक यन्त्र (माइक) के निकट आकर समझाइयेगा?

***श्री बी. दास:** जो कुछ मैं कह रहा था वह यह है। भारत में कुछ अफगानी राजकुमार हैं जिनको अफगान की सरकार ने देश निकाला दे दिया है और भारतीय ब्रिटिश सरकार के संधि या मेल से उनको कुछ प्रतिबन्धों के साथ भारत में रहना है। वे अफगान राजकुमारों के नाती बेटे हैं पर उन्हें ब्रिटिश भारत में कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। क्या उनको भारत में कोई नौकरी करने की आज्ञा है यदि वाक्यांश (3) में नागरिकता की वर्तमान व्याख्या को स्वीकार किया जाये और वे भारत के नागरिक हो जायें? अब तक इन मनुष्यों पर राजनैतिक प्रतिबन्ध हैं और वे ब्रिटिश भारत में कोई नौकरी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मैं उनमें से दर्जनों से मिला हूं। मैं इस सम्बन्ध में नियम रचियता के अभिप्राय को जानना चाहूंगा।

***अध्यक्ष:** मैं उन संशोधनों को लूंगा जिनकी सूचना परसों आ गई थी।

श्री राजगोपालाचार्य एक संशोधन लाये हैं जो कि पैरों का फिर से क्रम बांधने का सुझाव रखता है।

माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्य (मद्रास : जनरल): उस संशोधन को श्री मुंशी साहब ने मान लिया है।

(सम्पूरक सूची 1 के सं. 23 से 28 तक के संशोधन पेश नहीं किये गये।)

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मेरा संशोधन (यानी सम्पूरक सूची 1 का 29वां) राजनैतिक मत से संबंधित उसी आधार पर है जिस पर कि मेरा कल का संशोधन था, इसलिए मैं इस विषय पर और अधिक कहना नहीं चाहता।

***अध्यक्ष:** संशोधन संख्या 30।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्रीमान् जी कल मेरे प्रस्ताव पर जो कुछ हुआ उसके पश्चात् मैं उस संशोधन को दुहराना नहीं चाहता हूं।

(सम्पूरक सूची 1 संशोधन संख्या 31-33 तक पेश नहीं किये गये।)

***अध्यक्ष:** श्री महावीर त्यागी।

श्री महावीर त्यागी (संयुक्तप्रांत : जनरल): जनाबे आला, मेरी तरमीम यह है कि खण्ड न. 5 में ''There shall be equality of opportunity for all citizens in matters of public employment and in the exercise of carrying on of any occupation, trade, business or profession.'' (सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे के चलाने का सब नागरिकों को समान सुयोग मिलेगा) में नीचे लिखा हुआ Proviso 'आदेश' पहले पैरे के बाद बढ़ा दिया जाये।

Provided that a unit may frame rules whereunder in the matter of public employment it may give preference over others to such citizens as are bonafide or domiciled residents of its own territory'' (शर्ते कि प्रादेशिक इकाई नियम बनायें जिसके अनुसार सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में वह अपने प्रदेश के वास्तविक नागरिकों को अन्य नागरिकों की अपेक्षा अच्छा समझे)।

जनाबे वाला, मुझे सिर्फ यह अर्ज करना है कि इस वक्त जो अलग-अलग सूबों के सरकारी दफ्तरों में गवर्नमेंट के मुलाजिमान भर्ती किये जाते हैं उनमें इस बात का लिहाज रखा जाता है कि जहां तक हो वे लोग उसी सूबे के रहने वाले हों। मेरी राय में सच्चे माने में सेल्फ-गवर्नमेंट और निजी हुकूमत कायम करने के लिये यह चीज सबसे जरूरी है कि दुनिया के हर हिस्से में उसी हिस्से और सूबे के रहने वाले लोग वहां के गवर्नमेंट मुलाजिम और अफसर हों। अगर एक सूबे में दूसरे सूबे के लोगों को मुलाजिमत करने के लिये खुली छूट दी जाती है तो इसके माने यह होंगे कि वहां के लोग खुद-मुख्तार हुकूमत का लुत्फ नहीं ले सकेंगे। मेरी अस्ल मंशा यह है कि जहां तक हो सके एक खास सूबे में वहीं के रहने वाले लोग अफसर हों और वहीं के रहने वाले कर्मचारी राजपाठ के काम को चलावें। जिस सूबे में और जिस यूनिट में मुलाजिमीन की भर्ती हो, ज्यादातर उसी जगह के रहने वाले लोगों की औलाद उसमें भर्ती हो। जिस शक्ल में यह कानून रखा जा रहा है उसमें कोई लिहाज इस बात का नहीं रखा जायेगा कि उम्मीदवार कहां का रहने वाला है या वह कौन प्रान्त में पैदा हुआ है

सब ही जगह की आजादी रहेगी। इससे दिक्कत पैदा हो सकती है कि एक सूबे के लोग दूसरे सूबे में जाकर मुलाजमत हासिल करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करने लगेंगे। इससे स्वराज्य की आत्मनिर्भरता (Self-sufficiency) नष्ट हो जायेगी। हमारे संयुक्तप्रान्त में जब कभी पब्लिक सर्विस कमीशन का विज्ञापन निकलता है तो उसमें इस बात की शर्त होती है कि यू.पी., रामपुर, बनारस और टेहरी स्टेट के लोग डोमीसाइल्ड रहने वाले हैं केवल वही लोग मुलाजमतों की दरख्वास्तें दे सकते हैं अगर यह शर्त रद्द कर दी जाये और पैदायश की जगह का कोई लिहाज नहीं रखा जाये तो यह खतरा हो सकता है कि सूबे के दूसरे हिस्सों के लोग भी आकर छोटी और बड़ी मुलाजमतों पर कब्जा करें, और कम्पीट करें। यह चीज स्वराज्य की जो असली स्प्रिट है उसके खिलाफ होगी। शायद है कि जैसा क्लाज सरदार पटेल ने पेश किया है उसमें ऐसी गुंजाइश हो सके कि प्रान्तीय सरकारें अपने यहां के रहने वालों को तरजीह दे सके। यदि ऐसा है तो मैं अपनी तरमीम पेश नहीं करूंगा। पर सरदार पटेल से यह प्रार्थना करूंगा कि वह अपने बयान से यह बात आज के रिकार्ड में ला दें कि ''पैदायश की जगह की वजह से सरकारी नौकरियां मिलने में कोई बाधा न पड़ेगी। इसके माने यह होगा कि प्रांतीय सरकारें अपने यहां के रहने वाले को दूसरे प्रान्तों के रहने वालों पर तरजीह न देगी।'' अगर इस एवान (हाउस) की कार्रवाई के रिकार्ड में सिर्फ यह चीज आ जाये कि डोमीसाइल को तरजीह देने का हक हरेक प्रान्त को रहेगा। और वह अपने सूबे में रहने वालों को दूसरे सूबे के वाशिंदों की बनिस्वत मुलाजिमत में तरजीह दे सकेगी, तो मुझे कोई तरमीम (एमेंडमेंट) मूव करने की जरूरत नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि शायद यह मुमकिन हो अगर प्रस्तावक महोदय, या इस कमेटी के कोई दूसरे साहब इस बात को तसलीम करें कि उनके प्रस्ताव से सूबों की आजादी कायम रहती है कि जहां तक हो सके वह अपने वाशिन्दों के जरिये से अपना राज-काज का काम चलाये, तो मुझे इस संशोधन की आवश्यकता कोई न होगी।

***श्री आर.के. सिधवा:** श्रीमान् जी, ये (वक्ता) संशोधन का जिक्र कर रहे हैं।

***अध्यक्ष:** ये वाक्यांश 5 पर अपना संशोधन पेश कर रहे हैं, जो आज सुबह घुमाई गई सम्पूरक सूची में दूसरा संशोधन है।

(सम्पूरक सूची 2 का तीसरा संशोधन श्री मुंशी द्वारा)

***श्री के.एम. मुंशी:** यह उस संशोधन में मिला दिया गया है जो पेश हो चुका है।

(सम्पूरक सूची 2 का चौथा संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्ष:** रायबहादुर चौधरी सूरजमल।

रायबहादुर चौ. सूरजमल (पंजाब : जनरल): जनाब प्रेसीडेंट साहब, मैं आप की इजाजत से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं—

कि वाक्यांश 5 में तीसरे पैरे के बाद में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें ''Provision may be made by the law to impose such reasonable restrictions

[रायबहादुर चौ. सूरजमल]

as may be necessary in the interest of the agriculture'' कृषि के हित के लिए ऐसे न्याययुक्त प्रतिबंध जो आवश्यक हो, लगाने की कानून द्वारा आवश्यक व्यवस्था की जा सकेगी।

इस संशोधन के पेश करने से मेरा मतलब यह है हिंदुस्तान जो कृषि प्रधान देश है उसके अन्दर बहुत से छोटे-छोटे मालिक हैं जिनको हमारी भाषा में बिस्वेदार कहते हैं, या छोटे जमींदार कहते हैं, वह बहुत ज्यादा तादाद में हैं, खास तौर से पंजाब में इस प्रकार के लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, इसलिए अम्बाला और जालंधर डिवीजन में छोटे-छोटे जमींदार या बिस्वेदार बहुत पड़े हुए हैं। हमारे पंजाब के अन्दर इस तरह की रुकावटें इस समय मौजूद हैं और इस पैराग्राफ 5 के पढ़ने से मालूम होता है कि ये जो (Restriction) कानून के अन्दर भविष्य में शायद न रह सके। इसलिये इस संशोधन के पेश करने से मेरा मतलब यह है कि यूनिट (Unit) को इस प्रकार के अख्तियार दिये जायें जिससे काश्तकारां के फायदे के लिये और छोटे-छोटे जमींदारों और बिस्वेदारों को बड़े-बड़े जमींदारों पूंजीपतियों और मालदारों से जो खुद खेती नहीं करते हैं, उनको बचा सकें, मेरे ख्याल में इस किस्म की पाबन्दियां लगाना तमाम मुल्क के फायदे के लिये बहुत जरूरी है, मैं आशा करता हूं कि यूनिट को इस प्रकार के अख्तयारात दिये जायेंगे जिनसे वह इस प्रकार का बचाव अपने काश्तकारों का कर सकें।

दूसरी बात जो खास तौर से मैं बताना चाहता हूं वह यह है कि छोटे-छोटे जमींदार या बिस्वेदार जो हमारे इलाके में रहते हैं वह खास मार्शल क्लास से संबंध रखते हैं और इस वक्त मुल्क की फौज में बहुत संख्या में भर्ती हैं, अगर उनके पास यह जमीनें न रहीं तो मेरा ख्याल है बल्कि बिल्कुल दुरुस्त है कि वह बिल्कुल किसान होकर रह जायेंगे, इनमें सेल्फ-रेस्पेक्ट का माद्दा मौजूद है वह बहादुरी से लड़ सकते है, और बहादुरी से जो नाम उन्होंने पैदा किया है वह नाम आयंदा पैदा नहीं कर सकेंगे, यह मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाहे आप कितने ही समाचार पत्रों में बयानात निकालें और भाषण दें। इस समय जमाना जो है, वह तलवार का है जिसके हाथ में ताकत है, वही आदमी राज कर सकेगा। इसलिए जरूरी बात यह है कि इस किस्म के जो लोग फौज से सम्बन्ध रखते हैं उनके बच्चों के साथ अच्छा बर्त्ताव करें और उनको कमजोर न करें, क्योंकि उनकी जरूरत पड़ेगी। भविष्य में जो विधान बन रहा है उसको चलाने के लिए इन लोगों की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरी दरख्वास्त है कि इस तरह की पाबन्दियां होनी चाहिए जिससे मालदार आदमी कमजोरों की जमीने न खरीद सकें, मेरी सरदार वल्लभभाई पटेल साहब से अर्ज है क्योंकि वे जमींदारों के हमदर्द हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि वह इस किस्म का ख्याल रखेंगे और जो कानून इस वक्त मौजूद है उससे बचाने के लिए व्यवस्था इस कांस्टीट्यूशन के अन्दर करेंगे, एक बार जब किसान नष्ट हो जाते हैं तो उनको बचाने वाला कोई नहीं होता, जैसा कि किसी अंग्रेजी शायर ने कहा है..... कि किसी किसान को एक दफा नष्ट करने के बाद फिर उनको बनाना बहुत कठिन होता है, इन शब्दों के साथ मैं यह संशोधन आपके सामने पेश करता हूं।

(सम्पूरक सूची 2 का छठा संशोधन पेश नहीं किया गया।)

***अध्यक्षः** आपका दूसरा संशोधन भी है?

रायबहादुर चौ. सूरजमलः जनाब वाला दूसरे संशोधन का मुद्दा भी यही है, क्योंकि मैं एक संशोधन ऐसा ही पेश कर चुका हूं इसलिए दूसरे संशोधन की जरूरत नहीं है।

***अध्यक्षः** आप उसको नहीं पेश करते है?

वाक्यांश और संशोधन सभा के समक्ष रख दिये गये हैं। अब उन पर वाद-विवाद हो सकता है। जो बोलना चाहते हैं बोलें।

सरदार पृथ्वीसिंह आजादः सभापति महोदय, रायबहादुर सूरजमल साहब ने जो संशोधन उपस्थित किया है मैं उसका विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। पंजाब में एक ऐसा काला कानून है जिसका नाम लैंड ऐलीनेशन एक्ट है और इस संशोधन का मतलब इस कानून को कायम रखना है। हमारी जो दलित जातियां और दूसरी गैर कास्तकारी कौमें हैं उनके लिए यह कानून सख्त नुकसान पहुंचाने वाला है। इस कानून ने पंजाब में एक बहुत बड़ी तादाद के लोगों को एक तरह से उन तबके के लोगों को जो कि अपने तईं जमींदार या किसान के लेविल लगा कर आगे आते हैं हमेशा के लिए गुलाम बनाकर रखा हुआ है। अगर चौधरी साहब का यह संशोधन मान लिया जाये तो इसका मतलब होगा कि वह जातियां जो सदियों से जमींदार के अत्याचार से दबाकर रखी हुई हैं जिन्हें जमींदारों ने लैंड ऐलीनेशन एक्ट के काले कानून के बल से हमेशा के लिए अपने पंजों में फंसाकर रखा वह सदियों तक न उठ सकेगी। इसलिए इस युग में जबकि हम ऐसा कानून बना रहे है कि तमाम के लिए सुविधा और समानता हो। हर एक को बराबर का अधिकार मिले। यह शोभा नहीं देता कि यह काला कानून इस युग में कायम रखा जाये। इसलिये मैं दलित जातियों की ओर से चौधरी साहब के संशोधन का जबर्दस्त शब्दों में विरोध करता हूं और हाउस से अपील करता हूं कि इस संशोधन को किसी भी राय में स्वीकार न किया जाये क्योंकि यह संशोधन पंजाब की दलित जातियों और पंजाब की अन्य गैर काश्तकार जातियों के संग अन्याय और अत्याचार होगा। अगर आपने इस दफा यह संशोधन मान लिया तो इसका मतलब यह होगा कि जिस अत्याचार को खत्म करने के लिए हम यहां उपस्थित हुए हैं उस अत्याचार को आप हमेशा के लिए कायम रखेंगे इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का विरोध करता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): श्रीमान् जी, लगभग सब संशोधन वापस ले लिए गये हैं और वाद-विवाद के लिए अधिक गुंजायश नहीं है। मैं एक या दो प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं जो कुछ सदस्यों ने रखे हैं।

श्री बी. दास को अफगान से निर्वासित कुछ अफगानी राजकुमारों के बाबत शंकायें हैं और वे यह जानना चाहते हैं कि वे (अफगानी राजकुमार) और उनकी सन्तानें सरकारी नौकरियां पाने के हकदार हैं या नहीं। मैं नही समझता हूं कि यह हमारे लिए कोई कठिनाई उपस्थित करेगा। यदि अफगान के राजकुमारों की सन्तानें यहां रहने का निर्णय करती हैं, तो यह सम्भव है कि उनको नागरिक अधिकार मिल जायेंगे यदि वे अपने देश से निर्वासित किए गये हैं। जो भी हो, यह खण्ड उन्हें नागरिकता प्रदान करने की व्यवस्था करता है, परन्तु यह किसी प्रांत को नौकरियों के सम्बन्ध में विधान द्वारा किसी प्रतिबन्ध के लगाने के अधिकार

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

से वंचित नहीं करता। यह केवल कहता है कि कोई भी नागरिक केवल कौम, धर्म, लिंग, वंश इत्यादि के आधार पर सरकारी नौकरियों के लिए अयोग्य नहीं समझा जा सकता। इसलिए इस सम्बन्ध में कोई शंका करने का कारण नहीं है। श्री त्यागी ने भी इसी प्रकार का प्रश्न उठाया है, यद्यपि वह दूसरे ढंग का है, कि प्रांत के निवासियों को तरजीह दी जाये और प्रांतों को विधान द्वारा अपने यहां के निवासियों को तरजीह देने का अवसर दिया जाये। यह प्रांत को विधान बनाने के अधिकार से वंचित नहीं रखता। यह नागरिक की अयोग्यता को केवल दूर करता है ऐसा होना चाहिए, और इसीलिए यह मौलिक अधिकारों में दिया गया है। इस कारण इस विषय में भी कोई कठिनाई नहीं है।

श्री चौधरी सूरजमल ने एक प्रश्न उठाया है जिसमें उन्हें भय है कि जमींदारों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। वे यह विचार रखते हैं कि पंजाब लैंड एलीनेशन एक्ट जो कि प्रचलित है, इन मनुष्यों को कुछ शरण देता है और वे उस शरण से वंचित हो जायेंगे। इस सम्बन्ध में मैं उनके सन्तोष के लिए केवल यह पेश कर सकता हूं कि श्री मुंशी ने इस वाक्यांश पर एक संशोधन उपस्थित किया है, जिसे स्वीकार करने का इरादा रखता हूं। जैसा कि मैंने आरम्भ में ही बता दिया है इस खण्ड का वह भाग जिसका कि जायदाद के प्राप्त करने, रखने और उसे हाथ से निकाल देने से सम्बन्ध है। यहां से हटा दिया गया है और आगे आने वाले अन्य खण्ड 8 के अन्तर्गत ले जाया गया है। परन्तु उस खण्ड में भी यह अवस्था रखी गई है कि यह केवल मेरे विचार से जनता के हितों के आधार पर किया जा सकता है इसलिए उस खंड में यद्यपि सिद्धांत है, पर उसे सीमित रखना है, लेकिन हमें तो इस खंड से इस सिद्धांत को ही अलग करना है। दूसरे खंड में सिद्धांत-विचार किया गया है और क्योंकि सिद्धांत केवल जनता के हितों तक ही सीमित है। मैं सोचता हूं कि कोई कठिनाई नहीं है और उनकी कठिनाई भी दूर हो जाती है। इसलिए मेरा विचार है कि यह खंड 5 संशोधित रूप में सभा द्वारा स्वीकृत होना चाहिए।

***अध्यक्ष:** अब मैं श्री मुंशी के संशोधन को लेता हूं।

(अ) सरकारी नौकरी के सम्बन्ध में सब नागरिकों को समान सुयोग मिलेगा।

(ब) कोई नागरिक धर्म, जाति, वर्ण, लिंग, वंश, जन्म-स्थान के आधारों पर या इनमें से किसी आधार पर सरकारी नौकरी के अयोग्य न समझा जायेगा।

यदि राज्य यह समझे कि कुछ वर्गों का सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हुआ है तो उनके लिए जगहें सुरक्षित रखने की व्यवस्था करने में राज्य को यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।

यदि इस आशय का कोई कानून बनाना हो कि किसी धार्मिक या साम्प्रदायिक संस्था के कामों के प्रबन्ध, शासन-प्रबन्ध या देखभाल करने वाले दफ्तर का कर्मचारी या उस संस्था की प्रबन्धकारिणी समिति का सदस्य उसी विशेष धर्म या सम्प्रदाय का हो, तो उसमें यहां दिये हुए किसी आदेश से बाधा नहीं होगी।

प्रश्न यह है कि श्री मुंशी का संशोधन स्वीकार किया गया।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** केवल एक संशोधन है जो कि पेश किया जा चुका है और वह संशोधन रायबहादुर चौधरी सूरजमल का है। उनका संशोधन जायदाद के रखने या किसी प्रकार दे देने इत्याादि से सम्बन्धित है। खण्ड का वह भाग हटा दिया गया है। इस कारण उनके संशोधन का प्रश्न नहीं उठता; अत: उस पर वोट नहीं लिए जायेंगे।

संशोधित रूप में खण्ड स्वीकृत हुआ।

खण्ड 7—समानता के अधिकार।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान् जी अब मैं खण्ड 7 को पेश करता हूं।

अभी उसका यह रूप है—''यूनियन द्वारा कोई भी वंशानुगामी उपाधि नहीं दी जायेगी।'' हमने कमेटी में विस्तारपूर्वक इस पर वाद-विवाद किया है। और भिन्न-भिन्न कमेटियों में जिनमें इस विषय पर वाद-विवाद हुआ और उसको स्वीकार किया गया, इस पर मतभेद था। यह बहुत विवादास्पद विषय था। बहुत समय तक बहस करने के पश्चात् इस विषय को तय किया और हम इस (उपरोक्त) निश्चय पर पहुंचे। परन्तु ''वंशानुगामी'' शब्द विवाद का विषय रहा और यथेष्ठ विवाद के पश्चात् यह स्वीकार किया गया कि इस शब्द को भी हटा दिया जाये और इसके लिए बतौर रस्म के संशोधन रख दिया जायेगा। अत: शेष भाग इस प्रकार है—''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी''। देश की सर्वसाधारण जनता की यही राय हैं। अन्यत्र, अनेकों स्वतंत्र देशों में भी उपाधि की प्रथा मिटती जा रही है। देश के सार्वजनिक जीवन को दूषित करने में उपाधि का बहुधा दुरुपयोग होता रहा है, इसलिए यह बेहतर है कि इसको मौलिक अधिकारों में रखा जाये। मैं नहीं जानता कि इस विषय पर कोई आपत्ति होगी या अधिक समय तक विवाद होगा। मैं खण्ड को पेश करता हूं।

***अध्यक्ष:** इस वाक्यांश पर कई संशोधन हैं उनमें से पांच या छह की सूचना परसों मिल गई थी और एक या दो की कल मिली है।

मेरे विचार से श्री मसानी जी का संशोधन बहुत विस्तृत है। मैं चाहूंगा कि वे उसे पेश करें।

***श्री एम.आर. मसानी** (बम्बई : जनरल): अध्यक्ष महोदय, जिस संशोधन की सूचना मैंने दी है वह उस संशोधन पर है जिसकी सूचना श्री सन्तानम् ने दी है। वह इस प्रकार है—

> ''संघ द्वारा किसी पद या पेशासूचक उपाधि के अतिरिक्त और कोई उपाधि नहीं दी जायेगी।''
>
> ''यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार की दी हुई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''
>
> ''राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की सहमति के किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन या पद स्वीकार नहीं करेगा।''

पैरा 1 के वाक्य 1 में से ''किसी पद या पेशासूचक उपाधि के अतिरिक्त''

[श्री एम.आर. मसानी]

शब्दों को निकाल दिया जाये, जिससे कि खण्ड ''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी'' पढ़ा जाये। तीसरे पैरे में ''या उपाधि'' वाक्यांश को आखिरी लाइन में जोड़ दिया जाये, जिससे वह इस प्रकार पढ़ा जा सके—

> ''राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की अनुमति के किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

मैंने सब की यही राय समझी। यदि सभा इस रूपान्तर की आज्ञा दे तो शायद यह संशोधन विवादास्पद न रहे।

***अध्यक्ष:** श्री मसानी ने एक संशोधन की सूचना दी है, और अब वे उस संशोधन में से कुछ शब्द निकाल देने की अनुमति चाहते हैं जैसा कि उन्होंने प्रस्ताव रखा है, जिससे कि उनका संशोधन इस प्रकार पढ़ा जाये—

> ''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी सरकार की दी हुई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''
>
> ''राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार की सहमति के किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

***श्री एम.आर. मसानी:** सभा के समक्ष यह संशोधन रखते हुये मैं यह बताऊंगा कि वर्तमान खण्ड में दो उद्देश्यों से परिवर्तन किये गये है। पहला परिवर्तन यह कि शब्द ''वंशानुगामी'' हटा दिया जाये, एक महत्त्वपूर्ण परिवर्तन है। इसका मतलब यह होगा कि स्वतंत्र भारतीय सरकार किसी प्रकार की कोई भी उपाधियां प्रदान नहीं करेगी, चाहे वे वंशानुगामी हो अथवा अन्य प्रकार की; अर्थात् ऐसी उपाधि पाने वाले के जीवन-काल के लिए ही हो। यूनियन के लिए यह सम्भव हो सकता है कि वह अपने कुछ नागरिकों को, जिन्होंने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में मसलन विज्ञान और कला आदि में काफी प्रसिद्धि प्राप्त की हो, ऐसे किसी सम्मान से विभूषित करे जो उपाधि न हो। पर स्वतंत्र भारत में यह कल्पना असम्भव है कि कोई व्यक्ति अपनी सेवाओं के उपहार स्वरूप कोई उपाधि अपने नाम के आगे या पीछे लगावे।

श्रीमान्, मैं समझता हूं कि सभा इस सिद्धांत का समर्थन करेगी, क्योंकि केवल पराधीन देशों में ही नहीं; वरन् स्वतंत्र कहे जाने वाले देशों में भी यह देखा गया है कि उपाधियां लेने वालों और देने वालों दोनों के लिये खतरनाक और दुराचरण का कारण बन जाती हैं। इसलिए देशभक्ति, आत्मसम्मान और सेवा-भावना पर विश्वास रखते हुये हम बिना किसी प्रकार की उपाधियों के अपना कार्य करें।

दूसरा परिवर्तन यूनियन के नागरिकों और उन व्यक्तियों में विभेद करने के लिये है। जो कि रियासतों में नौकरी कर रहे हैं भेद यूनियन के नागरिक इस संशोधित खण्ड के अनुसार किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र न होंगे जबकि रियासतों में कोई लाभप्रद या विश्वसनीय पद धारण करने वाले व्यक्ति विदेशी राज्यों से वेतन या उपहार स्वीकार कर सकेंगे। पर केवल तभी जबकि उनका राज्य इसके लिए आज्ञा दे दे। श्रीमान्, उससे कूटनीतिज्ञों और

अन्य व्यक्तियों और अपनी सरकार से आशा मिल जाने पर विदेशी सरकारों से सम्मान या प्रशंसासूचक चिह्न स्वीकार करने की अनुमति मिल जाती है।

मैं समझता हूं कि संशोधनों का अभिप्राय स्पष्ट कर दिया गया है। और आशा करता हूं कि मानव-समानता और प्रजातंत्रवाद के हित के लिए वह परिवर्तन स्वीकृत होगा जिसमें ''वंशानुगत'' शब्द अलग किया जाता है और इसके साथ ही साथ दूसरा परिवर्तन जिसको मैंने सूचित किया है।

***श्री श्रीप्रकाश** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान् जी, मेरे विचार में श्री मसानी द्वारा पेश किये गये संशोधन के अन्तर्गत मेरा संशोधन आ जाता है। मेरे संशोधन को पेश करने की अब कतई जरूरत नहीं है। मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं।

***श्री एच.वी. कामत** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): वाक्यांश में परिवर्तन करने की जैसी सूचना है उसे दृष्टि में रखते हुये मैं विचार करता हूं कि मेरे संशोधन पर जोर देने की कोई बात नहीं है। खण्ड में सुझाये हुये परिवर्तनों को देखते हुए मैं समझता हूं कि मेरे संशोधन पर जोर देने की अब कोई बात नहीं है।

***श्री के. सन्तानम्** (मद्रास : जनरल): मेरा संशोधन श्री मसानी के संशोधन के अन्तर्गत आ गया है।

***श्री आर.के. सिधवा** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): श्री मसानी द्वारा प्रस्तावित संशोधन को दृष्टि में रखते हुए मैं अपने संशोधन को पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। मैंने कहा है कि विश्वविद्यालय सम्बन्धी डिग्रियों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की उपाधियां यूनियन द्वारा नहीं दी जायेंगी। मुझे बताया गया है कि विश्वविद्यालय सम्बन्धी डिग्रियां उपाधियों के समान नहीं मानी जायेंगी। विश्वविद्यालय सम्बन्धी डिग्रियां विश्वविद्यालयों अथवा संस्थाओं द्वारा दी जा सकेंगी। इसे देखते हुए श्रीमान्, मैं अपना संशोधन नहीं पेश करना चाहता।

सेठ गोविन्ददास (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): अध्यक्ष जी, आगे की उपाधियों की निस्वत जो भी यहां पर प्रस्ताव रखा गया है उससे स्पष्ट हो जाता है। लेकिन जिन लोगों के पास उपाधियां मौजूद हैं उनका क्या होगा, इसके सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा गया है। यह एक मानी हुई बात है कि अधिकांश लोग जो उपाधियों से विभूषित हैं उनको उपाधियां उस विदेशी सरकार की देन हैं जो लगभग 200 वर्ष तक इस देश पर राज्य करती रही है। दूसरे-दूसरे देशों का इतिहास यदि हम देखेंगे तो जान पड़ता है कि फ्रांस की क्रान्ति, रूस की क्रांन्ति के बाद वहां पर जितनी उपाधियां थीं, वे तमाम उन क्रान्तियों के बाद वापस ले ली गई। अब तक यह सरकार भी यह करती आई है यदि उसका कोई उपाधिकारी किसी भी राष्ट्रीय कार्य में भाग लेता था तो उनसे यह उपाधि वापिस ले लेती थी। मैं यद्यपि इस सम्बन्ध में कोई सुधार पेश नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं सरदार जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे गुलाम तमगों से लोगों का उद्धार नहीं करना चाहते?

मैं चाहता हूं कि जो उपाधि इन लोगों के पास हैं वह भी वापस ले ली जायें। इस समय के उपाधिकारी भी स्वतंत्र भारत में उसी प्रकार के व्यक्तियों की तरह रह सकेंगे जिस तरह और व्यक्ति रहेंगे।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (यू.पी. : जनरल): मैं इस उपधारा का विरोध करता हूं। इसमें जो यह कहा गया है कि स्वतंत्र भारत में किसी प्रकार की पदवी या उपाधि कुछ प्रदान नहीं की जायेगी। मैं इसको अपने देश की परिपाटी के विपरीत और उसके साथ ही अपने देश की मनोवृत्ति के विपरीत समझता हूं।

हमने इस देश में समय-समय पर अपनी विभूतियों को अपनी ओर से अनेकानेक प्रकार से विभूषित करने का प्रयास किया है। किसी को ''आचार्य'' कहते हैं और अध्यक्ष महोदय, स्वयं आपको हम ''देशरत्न'' के नाम से पुकारते हैं। हम महात्मा गांधीजी को ''महात्मा'' के नाम से पुकारते हैं। आज हमारे मस्तिष्क में, हमारी मनोभावना में और हमारी संस्कृति में जिस प्रकार अपने नेताओं को विभूषित करने की एक बात है, उसके विपरीत निर्णय करना मैं अनुचित समझता हूं, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं।

मसानी महोदय और दूसरे मित्रों ने जो इसके विपरीत बात कही है उसके पीछे एक कारण है। वर्तमान की जनतंत्रात्मक, प्रजातन्त्रात्मक और डेमोक्रेटिक भावना से विवश होकर उन्होंने कहा कि हमारे देश में किसी प्रकार की कोई उपाधि या पदवी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि हमारे स्वतंत्र भारत में हमारे देश के कुछ आदमी ऐसा कार्य करते हैं कि हम उनका सम्मान करें तो कोई कारण नहीं है कि हम अपने देशवासियों की ओर से ऐसे महापुरुषों को राष्ट्रीय उपाधियों से विभूषित क्यों न करें। स्वयं, रूस जैसे देश में जिसने सबसे पहले समाजवाद का प्रयोग किया, कुछ समय के बाद इस बात की आवश्यकता अनुभव हुई कि यह देश अपने ''जनरल'' को, अपने सेनाध्यक्ष को और अपने देश के अच्छे कार्यकर्ताओं को उपाधियों से और तमगों से विभूषित करे। और इसलिए मेरा यह अनुरोध है कि इस प्रस्ताव को पास करने से पहले यह सभा गम्भीरतापूर्वक इस विषय पर विचार करे और यह अनुभव करने कि यह प्रस्ताव हमारी मनोभावना हमारी..... और इसके साथ ही हमारी परिपाटी के विपरीत है इसलिए यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

***श्री श्रीप्रकाश:** अध्यक्ष महोदय, *(अध्यक्ष महोदय ने वक्ता को इस समय ध्वनिवर्धक यंत्र पर आने को कहा)* यदि सदस्यगण जो कुछ उनका कहना है केवल उसे ही नहीं वरन् किस प्रकार कहना है, यह केवल समझ लें तो इस हॉल का ध्वनि विस्तार पूर्ण है। *(करतल ध्वनि)* श्रीमान् जी, मेरे आदरणीय मित्र पंडित बालकृष्ण शर्मा पूर्णतया विषय से बहक गये हैं। (वाह वाह) वे कहते हैं कि उपाधियों का मिटाना हमारे देश के परम्परागत इतिहास के विरुद्ध है और हम ऐसी उपाधियों के शौकीन हैं। वे शायद यह भूल जाते हैं कि हम यह एक मौलिक अधिकार नहीं मान रहे हैं कि किसी व्यक्ति को गैर-सरकारी तौर पर उपाधि या सम्मान नहीं दिया जा सकेगा। हमारा एतराज तो यह है कि राज्य को उपाधि-प्रदान का अधिकार न होना चाहिये। (वाह वाह) आप समस्त जनता की मुक्ति देने वाले गांधीजी को महात्मा गांधी कह कर नैसर्गिक सम्मान करने से नहीं रोक सकते हैं। सरकार उस उपाधि को स्वीकार करने से इन्कार करती है, वह उस महान व्यक्ति को एक दीर्घ कालीन कारावास में रखती है, पर जनता उसको ''महात्मा गांधी'' कह कर पुकारती रहती है और सरकार को गालियां देती है जो उस महान व्यक्ति को कैद में रखती है।

इन दो उपाधियों में यह अन्तर है। नैसर्गिक उपाधि प्राप्त करने वाला व्यक्ति उस उपाधि से परेशान होता है वह जनता से कहता है कि उसे महात्मा, देशरत्न या अन्य ऐसे नामों से न पुकारा जाये, जबकि सरकारी उपाधि पाने वाला व्यक्ति, सरकार ने जिस नाम से पुकारे जाने का (अधिकार) गौरव उसे दिया है, उसी नाम से पुकारे जाने का बहुत इच्छुक रहता है। श्रीमान्, मैं तो गत अधिवेशन में स्तंभित हो गया था, जबकि आपने स्वयं अपने प्रांत के एक सदस्य को ''रायबहादुर'' शब्द से सम्बोधित किया। मैंने महसूस किया कि उस बिचारे के मां-बाप उसका नाम रखना भूल गये और उसे अनेकों वर्षों तक राज्य का मुंह ताकना पड़ेगा कि वह (राज्य) उसके नामकरण में सहायता दे और रायबहादुर नाम से सदा पुकारे जाने का उसे आश्वासन दे दे। एक उपाधि तो पाने वाले को परेशान करती है और दूसरी उपाधि उसे अहंकारी बना देती है और उसमें यह भावना भर देती है कि सचमुच वह उसके योग्य है। मैं समझता हूं कि स्वतंत्रता के नाम पर यह अनुरोध करना आवश्यक है कि राज्य की ओर से मिलने वाले इस उपाधि-भार से हमें मुक्त किया जाये और इस विशिष्टता प्राप्ति के लिए हम अधिकारियों की खुशामद करें, इस बला से भी हमारा पिंड छुड़ाया जाये।

श्रीमान्, मैं उसे स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह वाक्यांश राज्य को भी, किसी नागरिक को उचित सम्मान प्रदान करने से नहीं रोकता है। हम उपाधि और सम्मान में भेद कर रहे हैं। उपाधि वह है जो किसी के नाम के साथ लगती है। मैं समझता हूं कि यह अंग्रेजों द्वारा चलाई हुई एक नवीन नीति है। अन्य सरकारें भी अच्छे कार्य के लिए अपने नागरिकों को सम्मानित करती हैं परन्तु वे नागरिक अपने नाम के पीछे ब्रिटेन या ब्रिटिश द्वारा शासित प्रदेशों के व्यक्तियों के समान अपनी उपाधियों को अपने नाम के साथ अनिवार्य रूप से नहीं लगाते हैं, इस खंड का आशय केवल यही है। यदि किसी नागरिक ने कोई खास अच्छा काम किया है और राज्य उसे सम्मानित करना चाहता है, ऐसे सैकड़ों तरीके हैं जिनसे राज्य उस नागरिक को सम्मानित कर सकता है। यदि जनता किसी नेता को सम्मानित करना चाहती है तो वह भी कर सकती है, लेकिन हम इस घातक दुराचार उत्पन्न करने वाली प्रथा को मिटाना चाहते हैं जो व्यक्तियों को विवश करती हैं कि किसी सम्मान विशेष की प्राप्ति के लिये अधिकारियों से अनुग्रह भिक्षा मांगते फिरें।

हम सब जानते हैं कि प्रति 6 माह पश्चात् लम्बी 2 सूचियां छापी जाती हैं या छापी जाती थीं जिनमें यह बताया जाता था कि अमुक व्यक्ति अमुक होने वाला है, और बहुत से उत्सुक व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक यह जानने के लिए उनका नाम उन सूचियों में है या नहीं, उनको ध्यानपूर्वक देखते थे। हम इस प्रथा को बन्द करना चाहते हैं। यह प्रसिद्ध है कि सरकार ने चन्द बहुत ही योग्य व्यक्तियों का सम्मान तो किया वास्तव में जबकि महात्मा गांधी का नाम भी उस सूची में रखा गया तो एक प्रमुख पत्र में यह निश्चित रूप से निकला था कि महात्मा गांधी का आदरणीय नाम होने के कारण वह सम्मान सूची स्वयं सम्मानित हुई। उस सम्मान सूची को यश प्राप्त हुआ। बाद में महात्मा गांधी ने परेशान होकर उस उपाधि का परित्याग करना आवश्यक समझा पर महात्मा को उपाधि उनके महान् नाम के साथ अब भी लगी हुई है और उन्होंने उसका परित्याग नहीं किया है। मैं पंडित बालकृष्ण शर्मा और हम सब उनको इसी प्रियनाम से पुकारते हैं

[श्री श्रीप्रकाश]

और पुकारते रहेंगे, और ऐसा करने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। सरकार द्वारा व्यक्ति पर लाई गई उपाधि और उस सम्मान में जिसे कि जनता नैसर्गिक रूप से अपने किसी महान् व्यक्ति को देती है क्या अन्तर है, यह हमें समझना होगा। श्रीमान् जी, मैं आशा करता हूं कि सभा के सभी हल्कों को अब यह स्पष्ट हो गया होगा कि सरकार द्वारा उपाधियां प्रदान करने की प्रथा का मिटना अत्यन्त आवश्यक है। मैं यह भी आशा करता हूं कि मि. मसानी द्वारा पेश किया गया संशोधन सभा को पसन्द आयेगा और सर्वसम्मति से स्वीकृत होगा।

श्री आर.वी. धुलेकरः अध्यक्ष जी, मुझे दुख है कि मेरे मित्र श्री बालकृष्ण शर्मा ने भारतीय सभ्यता की परम्परा के विरुद्ध कुछ ऐसी लांछनयुक्त बातें कहीं हैं जिनकी कभी भी उनसे आशा नहीं की जा सकती थी। प्राचीन काल में यहां की राजसत्ता के अधिकारी साधुओं और संतों को अपने शासन के बाहर समझते रहे हैं और यदि हमारे पंडित जी ने प्राचीन ग्रंथ देखे होंगे तो उन्हें मालूम होगा कि हिंदुओं के जो धार्मिक स्थान हुआ करते थे वह भी राजसत्ता के शासन की मर्यादा के बाहर हुआ करते थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की बात कहना और विशेष कर ऐसे सज्जन द्वारा उचित नहीं है, और ऐसे समय में जबकि हमारा भारतवर्ष बेड़ियों से मुक्त होने जा रहा है, हम उस समय यह कहें कि हमारी गुलामी की जो मनोवृत्ति चली आई है, वह अब भी हम जारी रखेंगे और यह कहते हुए कि जगत के कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं, हम अपने ही काल में किसी उपाधि से विभूषित हो जावें, ठीक नहीं हैं मैं आपको यह बतलाना चाहता हूं कि भारतवर्ष में साधुओं और सन्तों की वह परम्परा नही है कि परमात्मा को अपना पूज्य मान कर सच्चे हृदय से विनयपूर्वक अपना कार्य करते रहे हैं और अगर देखा जाये तो मैं समझता हूं कि सारे जगत में यदि कोई भी देश ऐसा है, जहां पर कि कभी कोई कार्य निजी स्वार्थ से नहीं किया जाता तो वह भारतवर्ष है। यहां तक कि परमात्मा के लिए भी भक्तगण ऐसी कोई प्रार्थना नहीं करते जिसमें कोई उद्देश्य निहित हो। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि वही परम्परा हम भारतीय इस जगत में फैलाना चाहते हैं। हम सारे जगत को संदेश देना चाहते हैं कि हम भारतीय सारे जगत के कल्याण के लिए कार्य करते है और उसका बदला नहीं चाहते। जैसा कि पंडितजी ने कहा है उससे तो यही विज्ञ होगा कि हम भारतीय सार्वजनिक लाभ के लिए कोई काम करते हैं तो उसका बदला चाहते हैं। इसलिए मैं यह प्रार्थना करता हूं कि यह बात जो उन्होंने कही, वह अच्छी नहीं कही और जो संशोधन भी मसानी ने रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं और सब सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे साथ सहयोग करें।

***श्री एच.वी. कामतः** अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माननीय मित्र सेठ गोविन्ददास का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रश्न उन्होंने उठाया है वह मेरी समझ में बहुत ही महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भविष्य के सम्बन्ध में तो हम विचार कर रहे हैं पर हमने यह नहीं सोचा कि उन उपाधियों का हम क्या करें? जिन्हें इस साम्राज्यवादी सरकार ने—हमारे स्वातन्त्र्य आन्दोलन को दबाने वाली सरकार ने—उक्त व्यक्तियों को प्रदान किया है जिन्होंने हमारे आजादी के आन्दोलन को कुचलने में सरकार की मदद की है। मेरे विचारानुसार यह विषय अत्यावश्यक है। मुझे

भली प्रकार विदित है कि इस सभा में बहुत कम उपाधिधारी हैं। मैं उनकी व्यक्तिगत निन्दा करने या उनके दोष निकालने का प्रयत्न नहीं करता हूं। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि आज हम दो संसारों के बीच में खड़े हुए हैं, एक मर चुका है और दूसरा जन्म धारण करने के लिए संघर्ष कर रहा है और हम एक स्वतंत्र भारत बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि प्राचीन जीर्ण संसार की कमी को पूरा करेगा। हमारा ''भारत छोड़ो'' प्रस्ताव शीघ्रता से सफल-समाप्ति पर आ रहा है और जबकि हम यह देख रहे हैं कि ब्रिटिश सरकार अपने बोरिया-बिस्तर बांध कर जा रही है हम उत्सुक ही नहीं वरन् चिन्तित हैं कि विदेशी हुकूमत से हमारे जो सम्बन्ध और सम्पर्क है वह सब उनके साथ विदा हो जायें। इसलिए मैं अपने माननीय मित्र सेठ गोविन्ददास का समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सब उपाधियां जो कि विदेशी सरकार द्वारा विदेशी साम्राज्यवादी सरकार द्वारा दी गई हैं। स्वतंत्र भारतीय संघ (Union) की शुभ स्थापना पर वह सब समाप्त कर दी जायें।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल** (बम्बई : जनरल): मैं बहस बन्द करने का प्रस्ताव रखता हूं।

***श्री श्रीप्रकाश:** यदि सेठ गोविन्ददास का संशोधन स्वीकार किया गया तो क्या जबलपुर में उनके महल का नाम भी बदल जायेगा। *(हँसी)*

***अध्यक्ष:** इसे हम बाद में तय करेंगे। *(हंसी)*

***श्री आर.के. सिधवा:** एक वैधानिक प्रश्न है श्रीमान्, मैं क्या यह जान सकता हूं कि आया हम इस खण्ड को पहले की उपाधियों पर भी लागू कर सकते हैं?

***अध्यक्ष:** यह प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इस समबन्ध में कोई संशोधन पेश नहीं किया गया है।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान्, जी जिन व्यक्तियों के पास त्यागने के लिए उपाधियां नहीं हैं उन पर यह खण्ड लागू हो या न हो इस विवाद में मैं कोई कारण नहीं पाता हूं। मैं प्रस्ताव को जैसा कि कुछ संशोधनों को स्वीकार करने के बाद वह बनता है, पढ़ूंगा। प्रस्ताव यह है:

> ''यूनियन द्वारा कोई भी उपाधि नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई भी नागरिक किसी विदेशी सरकार से कोई भी उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन के अनुमति पाए हुए किसी विदेशी सरकार से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

यह है प्रस्ताव का वर्तमान स्वरूप। अतीत की घटनाओं पर बहस करने के बजाय यदि सभा इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो यह स्वयं लागू हो जायेगा और हमें इसकी जरूरत न रह जायेगी कि हम बीती हुई घटनाओं की बहस में जायें या इस बात की कोशिश करें कि प्रस्ताव पहले पाई हुई उपाधियों पर भी लागू हो।

यह सब होते हुए भी बहुत सी उपाधियां विगत एक या दो वर्षों में वापस कर दी गईं और वे अपना महत्त्व खो चुकी हैं। जो विधान हम बना रहे हैं।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

वह भविष्य के लिए है न कि भूतकाल के लिए। लेकिन अब भी ऐसे कुछ व्यक्ति हैं जो वही पुरानी ढंग और मनोवृत्ति रखते हैं, क्योंकि अतीत से जो कुछ हुआ है उसके कारण वह सदा अतीत को ही सोचा करते हैं। इस विषय को बढ़ाना अनावश्यक है। सम्भव है कि इससे हम ऐसी मनोवृत्ति का परिचय देंगे जिस पर कुछ लोग आक्रोश करेंगे और कुछ लोग इसका यह भी अर्थ लगा सकते हैं कि यह मनोवृत्ति हमारी द्वेषपूर्ण भावना का एक चिह्न है। उन्होंने उपाधियों के लिए बहुत खर्च किया है और कठिन परिश्रम किया है। आप नहीं जानते हैं, और आपको कोई अनुभव नहीं है कि उपाधियां किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं। इसलिए हम उन सब को एक ही कोटि में नहीं रख सकते हैं। उन्हें छोड़िये। हमें प्राचीन उपाधियों के प्रसंग को भूल जाना चाहिए। इस समय हम जो कुछ कहना चाहते हैं वह यह है कि भविष्य पर विचार किया जाये। बनारस के एक माननीय सदस्य कहते हैं ''मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं''। उसी शहर के एक अन्य माननीय सदस्य कहते हैं ''मैं इसके पक्ष में हूं''। मैं इसे नहीं समझ सकता हूं। यह क्या है? जनसमुदाय को उपाधियां देने में या उनके द्वारा दी हुई उपाधियों को लेने में कौन रुकावट डालने जा रहा है? वे स्वास्तव में उपाधियां नहीं हैं। वे तो उन गुणों के प्रतीक हैं जिन्हें लोग उनमें पाते हैं। यदि महात्मा गांधी ''महात्मा'' पुकारे जाते हैं तो वह इसलिए नहीं कि जन-समुदाय उनको कोई उपाधि देना चाहता है, वरन् वह इस कारण है कि वे उनमें कुछ दैवी शक्ति देखते हैं, उनमें कुछ गुण पाते हैं जिनकी वे प्रशंसा और सम्मान करते हैं, अतः राज्य को इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। राज्य क्या करेगा या राज्य को क्या करना चाहिए। इस सम्बन्ध में हम कानून बना रहे हैं या बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, न कि इसके लिए कि जन समुदाय क्या कर सकता है या उसे क्या करना चाहिए। जनता में ऐसे वर्ग भी हो सकते हैं जो उपाधियां देना चाहेंगे। उदाहरण के रूप में मुसलमानों को मि. जिन्ना को ''कायदे आजम'' की उपाधि देने में कौन-सा राज्य रोकेगा? यह निरर्थक विचार है। हमें उस पर विचार नहीं करना चाहिए। जनता जो कुछ उचित समझेगी, करेगी। लेकिन ये उपाधियां राज्य द्वारा दी जाती हैं। दल-सरकारें भी हो सकती हैं और दूसरी तरह की सरकारें भी हो सकती हैं। किसी प्रकार का प्रलोभन देने अथवा अपने दल को संगठित करने या अनुचित साधनों से शक्ति प्राप्त करने के हेतु मनुष्यों का चरित्र दूषित करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। इसलिए इस प्रश्न पर वाद-विवाद करने की कोई आवश्यकता नहीं है और मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि संशोधित रूप में प्रस्ताव स्वीकार किया जाये। मैं संशोधनों को स्वीकार करता हूं।

***अध्यक्षः** मैं पहले संशोधनों को पढ़ूंगा:

> ''यूनियन द्वारा कोई उपाधि नहीं दी जायेगी। यूनियन का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा। राज्य के आधीन किसी लाभप्रद या विश्वसनीय पद पर काम करने वाला कोई व्यक्ति बिना यूनियन सरकार के सहमत हुए किसी विदेशी राज्य से किसी प्रकार का कोई उपहार, वेतन, पद या उपाधि स्वीकार नहीं करेगा।''

अब मैं संशोधन पर राय लेता हूं।

संशोधन स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** यह अब संशोधित खण्ड हुआ। मैं संशोधित खण्ड पर राय लेता हूं।

संशोधित रूप में वाक्यांश स्वीकृत हुआ।

***अध्यक्ष:** अब हम खण्ड 8 को लें।

खण्ड 8

स्वतंत्रता के अधिकार

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** मैं खण्ड 8 को पेश करता हूं जो इस प्रकार है:

''8, नीचे दिये हुए अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के अधीन स्वतंत्रता होगी। सिवाय उस दशा के जबकि कोई गम्भीर परिस्थिति उत्पन्न हो जाये, जिसे यूनियन की सरकार या सम्बन्धित प्रदेश की सरकार ऐसा घोषित करे और जिससे यूनियन की या उस प्रदेश की, जैसी भी सूरत हो, सुरक्षा खतरे में पड़ जाये।

(अ) हर नागरिक को भाषण देने और विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का अधिकार।

रिपोर्ट में दी हुई आदेश-मूलक व्यवस्था को मैं नहीं पेश करना चाहता।

(ब) 'नागरिकों को बिना हथियारों के शांतिपूर्वक सम्मिलित होने का अधिकार।''

यहां भी मैं आदेश को पेश करने का प्रस्ताव नहीं रखता हूं।

(स) ''नागरिकों को सम्मेलन या संघ बनाने के अधिकार।''

इस उपखण्ड सम्बन्धी आदेश को भी मैं नहीं पेश करता हूं।

(द) ''प्रत्येक नागरिक को समस्त यूनियन में स्वतंत्रतापूर्वक विचरण करने का अधिकार।''

(इ) ''प्रत्येक नागरिक को यूनियन के किसी भाग में रहने, बसने, जायदाद प्राप्त करने और किसी व्यवसाय, व्यापार, कारोबार या पेशे को चलाने का अधिकार।''

इस वाक्यखण्ड के आदेश में एक छोटा-सा रस्मी संशोधन करना है जिसको मैं अभी पेश करता हूं। यह आदेश खण्ड 5 के आधार पर है, वह इस प्रकार है:

''यदि सार्वजनिक हित के लिये, जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और कबीलों के अधिकारों की रक्षा सम्मिलित है, कुछ 'न्याययुक्त' पाबन्दियों का लगाना आवश्यक हो तो कानून द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी।''

'न्याययुक्त' शब्द को एक संशोधन पर, जिसके पेश किये जाने की आशा है, वाद-विवाद करने के पश्चात् हो सकता है हटाना हो।

मुझे मालूम है कि इस प्रस्ताव पर कुछ संशोधन हैं। जब वे पेश किये जायेंगे मैं अपना उत्तर दूंगा।

***अध्यक्ष:** मैं श्री अजितप्रसाद जैन को आमन्त्रित करता हूं कि वे अपना संशोधन पेश करें।

श्री अजित प्रसाद जैन (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान् मैंने इस खण्ड पर एक संशोधन रखने की सूचना दी है, परन्तु मैं उसे पेश नहीं करता हूं। मैं माननीय प्रस्तावक महोदय से यह स्पष्ट करने की प्रार्थना करूंगा कि गम्भीर परिस्थिति की घोषणा कानून द्वारा प्राप्त किये अधिकार के अधीन होनी चाहिए। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि वह कौन होगा जिसे गम्भीर परिस्थिति के घोषित करने का अधिकार होगा। मैं चाहता हूं कि व्यवस्थापक सभा को गम्भीर परिस्थिति के घोषित करने का अधिकार हो और किसी को न हो। यदि गम्भीर परिस्थिति के घोषित करने का अधिकार प्रबन्ध विभाग या कार्यकारिणी के हाथों में दे दिया गया तो सम्भव है कि अवसर पड़ने पर वे निष्ठुरता से कार्य कर जायें। इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन रखा था।

***अध्यक्ष:** आप अपना प्रस्ताव पेश करते हैं या नहीं?

***श्री अजीत प्रसाद जैन:** श्रीमान्, मैं अपना प्रस्ताव पेश नहीं करता हूं।

***रायबहादुर श्यामानंदन सहाय** (बिहार : जनरल): संशोधनों पर विचार करने से पूर्व मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। दरअसल हम रिपोर्ट पर विचार कर रहे हैं और जो प्रस्ताव पेश किया गया था वह यह था कि रिपोर्ट पर विचार किया जाये। खण्ड 8 को पेश करते हुए माननीय प्रस्तावक महोदय ने तीनों आदेशों को छोड़ देने का सुझाव रखा है और वास्तव में उनको स्वीकार करने का प्रस्ताव बिल्कुल ही नहीं रखा। मेरे विचार से ठीक बात यह है कि एक संशोधन के रूप में उनको हटाने का प्रस्ताव रखा जाये, केवल यह कह देना ही ठीक नहीं कि वे पेश नहीं किये जा रहे हैं। यह हमारी कार्यवाही का अंग है। माननीय प्रस्तावक के सुझाये हुये तरीके के अनुसार यदि हम आदेशों को निकाल दें तो कोई यह नहीं जान सकेगा कि क्यों और किस प्रकार वे निकाले गये। मैं इस बात की ओर प्रस्तावक महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** सुझाई गई प्रणाली पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह मान लिया जाये कि मैंने रस्मी तौर पर आदेश अ, ब और स के हटाने का प्रस्ताव रख दिया है।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** अध्यक्ष महोदय खण्ड 8 के सारे उपखण्डों पर मेरे संशोधन हैं। अत: मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मुझे उन सब संशोधनों को एक साथ पेश करने की आज्ञा दी जाये। इस विचार को दृष्टि में रखते हुये कि माननीय प्रस्तावक महोदय ने प्रथम तीन आदेशों को हटा दिया है, मेरे कुछ संशोधन व्यर्थ हो गये हैं।

''विप्लवकारी'' शब्द को 8 (ब) के आदेश में से हटाने का मेरा संशोधन अनावश्यक हो गया है, क्योंकि पूरा आदेश मूलक खण्ड हटाया जायेगा।

मेरा दूसरा संशोधन खण्ड 8 (ब) के स्थान में निम्न वाक्य रखने का है, ''नागरिकों को एकत्रित होने का अधिकार।'' इसमें भी केवल दो या तीन शब्दों के सिवा शेष सबों को हटाने का प्रस्ताव हो ही चुका है।

मेरा अन्तिम संशोधन इस प्रकार है:

> ''खण्ड 8 के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायें और वर्तमान वाक्य खण्ड 9 की क्रम संख्या 14 कर दी जाये और आगामी खण्डों में अनुवर्त्ती परिवर्तन कर दिये जायें।

9. बिना मुकदमा चलाये (Trial) कोई भी व्यक्ति कारावास में नहीं रखा जायेगा।

10. (अ) प्रेस सम्बन्धी स्वतंत्रता की गारंटी दी जायेगी। यह गारंटी उन प्रतिबन्धों के आधीन होगी जो कानून द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के हित के लिये लगाई जा सके।

(ब) प्रेस पर सेंसर नहीं लगाया जायेगा और न उसे आर्थिक सहायता दी जायेगी। प्रेस चलाने या किसी पुस्तक अथवा अन्य छपे हुये विषय को प्रकाशित करने के लिये कोई जमानत नहीं ली जायेगी।

11. पत्र व्यवहार की गोपनीयता अबाध्य रहेगी और कानून द्वारा उन सूरतों में तोड़ी जा सकती है।

***श्री धीरेन्द्रनाथ दत्त** (बंगाल : जनरल): माननीय सदस्य नये खंड पेश कर रहे हैं इस समय हम खंड 8 पर विचार कर रहे हैं। अच्छा यह होगा कि वे खंड 8 पर अपने संशोधन पेश करें न कि नये खंड उपस्थित करें।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** ये सारे खंड जनता के स्वतंत्रता के अधिकार और ऐसे ही विषयों से सम्बन्ध रखते हैं। मैं उनको अब या बाद में पेश कर सकता हूं। दोनों बातें एक ही हैं।

***श्री आर.के. सिधवा:** मुझे इसमें वैधानिक आपत्ति है। यदि मि. लाहिरी को अभी सब संशोधनों को पेश करने की आज्ञा होती है तो ऐसे अवसर पर अन्य सदस्यों को भी आज्ञा देनी पड़ेगी। मैं निवेदन करता हूं कि इन सब नये खंडों पर विचार तब तक स्थगित कर दिया जाये तब तक कि हम मुख्य कार्य को समाप्त न कर लें, अन्यथा यह हमारे साथ अन्याय होगा।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान् जी, यदि आप मुझसे यह कहें कि अभी संशोधन पेश मत करो, तो जैसे ही यह (कार्य) समाप्त होगा आपको मुझे संशोधन पेश करने के लिए कहना पड़ेगा। उसका मतलब भी वही होगा।

***श्री के.एम. मुंशी:** क्या मुझे एक वैधानिक आपत्ति पेश करने की आज्ञा है? खंड 8 पेश हो चुका है। सभा खंड 8 सम्बन्धी अनेकों संशोधनों पर विचार कर रही है। इस समय मि. लाहिरी इस खंड में कुछ और बढ़ाना चाहते हैं। वास्तव में वे स्वतंत्र विषय हैं और इस कारण उनके स्वतंत्र विचार-विनिमय की आवश्यकता है। क्योंकि खंड 8 से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए उनको स्वतंत्र प्रस्ताव समझना चाहिये। सभा इस समय रिपोर्ट पर विचार कर रही है और रिपोर्ट के समाप्त होने के पश्चात् यदि कोई सम्बन्धित विषय और हो तो उस पर विचार कर सकती है। स्वयं रिपोर्ट में यह बताया गया है कि कई मौलिक अधिकार सभा के समक्ष उपस्थित नहीं किये गये हैं, सलाहकार-समिति उन पर विचार कर रही है। उचित कार्य-प्रणाली यह है कि ऐसे सब नये विषय विचारार्थ सलाहकार समिति के पास भेज दिये जायें। 16 मई की घोषणा के खंड 20 में यही बताया गया है।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** मैं पहले ही कह चुका हूं कि चूंकि मैंने ये संशोधन पेश कर दिये हैं, मुझे खंड 8 के समाप्त होने पर बुलाया ही जायेगा। जो खंड मैंने पेश किये हैं वे उसी विषय ''स्वतंत्रता के अधिकार'' से सम्बन्ध रखते हैं। इसलिए मेरा अभी बोलने के लिए आज्ञा मांगना वैधानिक है।

***श्री के. सन्तानम्:** इसमें से बहुतों के पास इसी प्रकार के संशोधन जोड़ने के लिए हैं। सभा की सुविधा के लिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि नये खंड, रिपोर्ट पर विचार होने के पश्चात् लिये जायें।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान् जी, यदि आप इस प्रकार का नियम निर्देश करें तो मुझे कोई आपत्ति न होगी।

***अध्यक्ष:** हाउस के समक्ष दो विचारणीय विषय उपस्थित हैं। श्री लाहिरी के पास अनेकों नये प्रस्ताव हैं जो कि वास्तव में संशोधन नहीं हैं, बल्कि वे नये प्रस्ताव हैं जिनको वे मौलिक अधिकारों में बढ़वाना चाहते हैं। और भी सदस्य हैं जिनके पास मौलिक अधिकारों में लाने के लिए ऐसे प्रस्ताव हैं। प्रश्न यह है कि इनको स्वतंत्र प्रस्ताव के समान इस समय ले लिया जाये अथवा बाद में।

***श्री के.एम. मुंशी:** बाद में, श्रीमान्।

***अध्यक्ष:** जो यह चाहते हैं कि मौलिक अधिकार सम्बन्धी वाद-विवाद के समाप्त होने पर इन नये खंडों को लिया जाये, वे 'हां' कहें—जो इसके विरुद्ध हैं वे 'ना' कहें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

***श्री बालकृष्ण शर्मा** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान् जी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह प्रश्न ऐसा है जिस पर आपके निर्णय लेने की जरूरत है न कि मत लेने की।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** श्रीमान् जी, विरोध के रूप में मैं वोटिंग में भाग लेना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे विचार से यह वोट से तय करने का विषय नहीं है।

***अध्यक्ष:** अब अपने संशोधन पेश कीजिए।

***श्री सोमनाथ लाहिरी:** पूरक सूची 1 में मेरे संशोधनों की क्रम संख्या 48, 49 और 52 है।

संख्या 48-खण्ड 8 में 'Security of the Union' के स्थान में ''Defence of the Union'' शब्द रखे जायें।

संख्या 49—वाक्यांश 8 (अ) में (Seditious) ''विप्लवकारी'' शब्द हटा दिया जाये।

संख्या 52—समस्त खण्ड 8 (ब) के स्थान में निम्न वाक्य रखा जाये:

''नागरिकों को एकत्रित होने का अधिकार।''

मुझे हर्ष है कि प्रस्तावक महोदय ने इस खण्ड के कुछ आदेशों को हटाना स्वीकार कर लिया है। मुझे विशेष हर्ष है कि कांग्रेस कमेटी के सदस्यों ने प्रो. रंगा की राय नहीं मानी जो यह सोचते हैं कि प्रजातंत्रवाद और स्वतंत्रता भारत के लिये हानिकर हैं क्योंकि उनके विचारानुसार प्रजातंत्रवाद और स्वतंत्रता ने जर्मनी में नाजियों की शक्ति बढ़ाने में सहायता की। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा बहुत इतिहास जानता है वह इस बात को जानता है कि नाजीवाद प्रजातंत्रवाद के आधिक्य का फल न था। नाजीवाद जर्मनी में अधिकारारूढ़ इसलिए हुआ कि वैमर विधान (Weimar Constitution) के अन्तर्गत जो अधिकार और स्वतंत्रता दी गई थी उनका हिटलर ने नाजी गिरोह की सहायता से विरोध किया और वहां की ''सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी''

नाजीवादियों की तलवार का मुकाबला तलवार से करने के लिए वहां के श्रमजीवी वर्ग का संगठन करने में असफल रही। यही मुख्य कारण है जिससे नाजीवाद अधिकारारूढ़ हुआ। यह नहीं कि वहां स्वतंत्रता की मात्रा अधिक थी।

मुझे बड़ी खुशी है कि वे आदेश जिनके लिए विरुद्ध मैंने लड़ाई लड़ी हटा लिये गये हैं यह लड़ाई शायद कुछ तीखी थी और इसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूं। परन्तु यह बहुत अच्छा हुआ। इसका मतलब यह है कि मेरे संशोध्रन नं. 49 और 52 आवश्यक नहीं हैं, केवल नं. 48 आवश्यक है।

खण्ड इस प्रकार है:

> ''नीचे दिये गये अधिकारों के प्रयोग की स्वतंत्रता होगी। यह स्वतंत्रता सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता के आधीन होगी, या उस गंभीर परिस्थिति के आधीन होगी जिसको यूनियन या सम्बन्धित प्रदेश ऐसा घोषित कर दे कि जिससे यूनियन या सम्बन्धित प्रदेश में से किसी का भी बचाव खतरे में पड़ जाता है।''

मैं ''बचाव'' के स्थान में ''सुरक्षा'' रखना चाहता हूं। ''बचाव'' शब्द अस्पष्ट है और कुछ भी अर्थ रख सकता है। हमें अनुभव है कि भूतकाल में इस शब्द को अस्पष्टता से सरकार ने लाभ उठाया। यूनियन की सुरक्षा वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जिसकी रक्षा करनी चाहिए। और इसके लिए खास अधिकार की आवश्यकता हो सकती है। यह महत्त्वपूर्ण संशोधन है। मुझे और अधिक कुछ नहीं कहना है।

***श्री आर.के. सिधवा:** मेरा संशोधन, जो कि कार्यक्रम (Agenda) के खण्ड (ग) के सम्बन्ध में इस प्रकार है। खण्ड (ग) इस प्रकार है:

''नागरिकों को संघ या सम्मेलन बनाने के अधिकार।''

मेरा संशोधन इस आशय का है, उपखंड के अन्त में निम्न शब्द बढ़ा दिये जायें और इस उपखंड का रूप यह हो।

''आर्थिक परिस्थितियों तथा श्रमजीवियों और कर्मचारियों की हैसियत की सुरक्षा और सुधार के उद्देश्य से नागरिकों को सम्मेलन या संघ बनाने के अधिकार की गारन्टी होगी''। चूंकि यह नया वाक्यांश माना गया है, मैं इसे उपयुक्त समय में पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखता हूं।

चूंकि अब से आदेशों के हटाने सम्बन्धी प्रस्ताव मेरे नाम से हैं, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करता हूं कि ये आदेश हटा दिये जायें। बात यह है कि जब हम प्रत्येक नागरिक को भाषण की स्वतंत्रता दे रहे हैं तो यह भी वांछनीय है कि हम इन आदेशों से इस स्वतंत्रता में प्रतिबंध न लगायें। मेरे विचार से यह आवश्यक नहीं है क्योंकि खण्ड एक प्रकार से स्वयं व्याख्यापूर्ण है। हम प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार देने के लिये तत्पर हैं और ये आदेश उन अधिकारों को निष्फल बना देते हैं, इसलिये मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इनको हटा दिया जाये।

''बचाव'' शब्द के स्थान में ''सुरक्षा'' शब्द को रखने के मि. लाहिरी के संशोधन के संबंध में मैं नहीं समझता कि देश में बिना बचाव के सरुक्षा किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है। बचाव राज्य और यूनियन में सारभूत है। इसलिए बचाव बहुत आवश्यक है और यह महसूस करता हूं कि मूल शब्द जैसे है वैसे ही रहें।

***श्री महावीर त्यागी** (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं अपने संशोधन को लेकर बड़े पशो-पेश में पड़ गया हूं खण्ड अ, ब और स के अन्त में दिये हुये तीन आदेशों को हटाने का संशोधन सभा के समक्ष है ही। यदि यह संशोधन स्वीकृत होता है तो मेरा संशोधन निरर्थक होगा। यदि सभा इसके विपरीत विचार करती है और उन आदेशों को रखती है तो मैं यह सुझाव पेश करूंगा कि ''धारा-सभा के भवन के निकट सभाओं पर नियंत्रण रखना या रोकना'' शब्दों को, जो कि उप-खंड ब के अन्त में हैं, हटा दिये जायें। श्रीमान्, किसी धारा-सभा के बिल्कुल निकट सभा करने का और धारा सभा के सदस्यों को जो कुछ उनके वोटर चाहते हैं उसका (इस प्रकार) आभास करा देने का जनता को विशेष अधिकार है—यह मैं विश्वास करता हूं। संक्षेप में यदि सभा उक्त खंडों को सम्पूर्ण रूप से न हटाने का निश्चय करती है तो मेरी यह सविनय प्रार्थना है कि मेरे संशोधन पर उस समय विचार किया जाये।

***माननीय रेवेरेंड जे.जे.एम. निकोल्स राय** (आसाम : जनरल): श्रीमान्, मेरे संशोधन के दो भाग हैं (1) खण्ड 8 के उपखंड ई के आदेश को प्रथम पंक्ति में से ''न्याययुक्त'' शब्द निकाल दिया जाये, और (2) और ''कबाइलियों'' शब्द के पश्चात् ''और कबाइली क्षेत्रों'' शब्दों को बढ़ा दिया जाये। मैं केवल पहले भाग को पेश करना चाहता हूं, दूसरे भाग को नहीं। अत: आदेश मेरे प्रस्तावानुसार इस प्रकार का होगा:

> (''यदि सार्वजनिक हित के लिये, जिसमें अल्पसंख्यक समूहों और कबीलों की रक्षा सम्मिलित है; पाबन्दियों का लगाना आवश्यक हो तो कानून द्वारा उसकी व्यवस्था की जायेगी।'')

'न्याययुक्त' शब्द बहुत गड़बड़ और कलह उत्पन्न करेगा। यदि कोई राज्य या प्रादेशिक इकाई ऐसे प्रतिबंध लगाता है तो कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है जैसा कि खण्ड 2 के अंतर्गत है और कह सकता है कि वे प्रतिबन्ध न्याययुक्त नहीं है। इस कारण मेरा विचार है कि कानून द्वारा दलों और कबीलों को जो रक्षा दी जायेगी वह उचित वास्तविक रक्षा नहीं होगी। वर्तमान समय में कबाइली क्षेत्रों और आसाम के कुछ अंश में पृथक् किये हुये क्षेत्रों की जनता के मस्तिष्क में अनेकों भ्रम हैं कि उनका, भारत में मिल जाना उनको व्यावहारिक रूप में भारत के अन्य भागों के व्यक्तियों के शोषण के आधीन कर देगा, और मौजूदा रक्षा, जो कि उनको अपनी भूमि के लिये प्राप्त हैं, छीन ली जायेगी। अत: उनमें से बहुत से नये भारतीय विधान के अन्तर्गत आने से डरते हैं। जब हम, सलाहकार-कमेटी की उप-समिति के सदस्य, लुशाई पर्वतों (Lushai Hills) में गये, तो कुछ लुशाई लोगों ने विचार प्रकट किया कि उनके लिये आसाम प्रान्त से संबंधित होने से बर्मा से संबंधित होना बेहतर होगा। यद्यपि वे अब भी आसाम में हैं तो भी उनको भय है कि नये विधान में वे सब रक्षाएं जोकि उनको आज तक ब्रिटिश सरकार से मिली हैं, हटा न ली जायें। इस भ्रम के निवारण के लिये यह आवश्यक होगा कि अन्त:कालीन सरकार के सदस्य पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, जिनके अधिकार में ये कबाइली क्षेत्र हैं, अधिकार संबंधी प्रामाणिक घोषणा की जाये, कि जो रक्षाएं इस समय आसाम में कबीलों को अपनी भूमि के संबंध में प्राप्त हैं, वे हटाई नहीं जायेंगी। ऐसी किसी घोषणा के लिये, यदि वह इस सभा में या अन्यत्र कहीं भी की जाये, वास्तव में मैं धन्यवाद दूंगा।

मैं समझता हूं कि यह आदेश अल्पसंख्यकों और कबीलों की भूमि तथा अन्य हितों के संरक्षण के लिये जान कर यहां रखा गया है। परन्तु कुछ क्षेत्रों में इस आदेश को गलत समझा जायेगा और इसकी गलत व्याख्या की जायेगी। विशेषकर मुख्य उपखंड द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को सुविधा दिये जाने के कारण। और इसलिये यह उनके मस्तिष्कों में उलझन उत्पन्न करेगा। इस कारण मैं फिर प्रार्थना करता हूं कि अधिकार संबंधी एक ऐसी प्रामाणिक घोषणा पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाये। इससे उस उपसमिति को बड़ी मदद मिलेगी जो जांच के सिलसिले में इन कबाइली क्षेत्रों में जायेगी।

***प्रो. के.टी. शाह** (बिहार : जनरल): अभी मैं पूरक सूची 2 में नम्बर 18 का अपना संशोधन उपस्थित नहीं करना चाहता।

***श्री जयपाल सिंह** (बिहार : जनरल): श्रीमान् अध्यक्ष, कल हमारी बैठक समाप्त होने तथा संशोधन उपस्थित करने के लिए आपके द्वारा निर्धारित समय में अधिक अंतर न था। इसलिए यदि पूरक सूची 2 में 19 नम्बर का संशोधन भाषा की दृष्टि से वैसा उत्तम न हो, जैसा कि किसी कुशल मसविदा बनाने वाले को उसे रखना चाहिए था, तो इसके लिए मैं परिषद् से क्षमा मांगता हूं।

मेरे संशोधन का उद्देश्य हाउस को यह बताने से है कि पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् क्षेत्रों में जाने के लिए नियुक्त उप-समितियों ने अभी तक अपनी जांच का परिणाम बड़ी सलाहकार-समिति के आगे उपस्थित नहीं किया है। हमारे सामने उपस्थित धारा (क्लाज) में ऐसी व्यवस्था है, जो लाखों आदिवासी जनता के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। इन दो उप-समितियों की, विशेष कर उत्तर-पूर्वी कबायली प्रदेशों से—या कहा जाये कि बंगाल-आसाम समूह से सम्बन्ध रखने वाली उप-समिति की सिफारिशों की जानकारी पर ही इस व्यवस्था को बहुत कुछ निर्भर रहना चाहिए। जब तक हम यह न जानें कि ये सिफारिशें क्या हैं तब तक हमें इस धारा तथा उसकी व्यवस्थाओं पर विचार करना अबुद्धिमत्तापूर्ण, अनुचित तथा समय से पहले की बात जान पड़ती है। श्रीमान् अध्यक्ष, इसलिए क्या मैं यह सुझाव उपस्थित कर सकता हूं, कि इस धारा पर विचार दोनों उप-समितियों की रिपोर्टें मिलने तक स्थगित रखा जाये। तब हमें ज्ञात हो सकेगा कि उनकी सिफारिशें क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय, मैं इसी हाउस में पहले एक अवसर पर कह चुका हूं कि पृथ्वी आदिवासी-जीवन का आधार है। हम यहां एक ऐसी व्यवस्था पर विचार कर रहे हैं, जो केवल 34 पूर्ण रूप से पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् कहे जाने वाले प्रदेशों की जातियों के लिए ही नहीं बल्कि इन प्रदेशों से बाहर रहने वाले लाखों व्यक्तियों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न है। बंगाल का ही उदाहरण लीजिए। वहां लगभग 20 लाख आदिवासी ऐसे हैं, जो न पृथक् क्षेत्रों में आते हैं और न आंशिक रूप से पृथक् क्षेत्रों में ही। दोनों उप-समितियों को उनकी समस्या पर भी विचार करना पड़ेगा, यद्यपि परिभाषानुसार इनका सम्बन्ध केवल उन्हीं प्रदेशों से है, जिसे पृथक् प्रदेश या आंशिक रूप से पृथक् प्रदेश कहा जाता है। इस अंत:कालीन अवस्था में अपने संशोधन को आगे बढ़ाने की मेरी कदापि इच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम एक ऐसे निश्चय पर पहुंच रहे हैं, जिसे चाहे अभी भले ही हम अंत:कालीन निश्चय ही कहें—मुझसे अभी कहा गया है कि हम इस पर फिर से विचार करेंगे—परन्तु ऐसा करके हम केवल अपना काम

[श्री जयपाल सिंह]

बढ़ायेंगे। हम एक प्रश्न के सम्बन्ध में निश्चय पर पहुंच कर अपना समय नष्ट कर रहे हैं, जो दोनों उपसमितियों की सिफारिशों पर निर्भर रहेगा। मैं विनीत भाव से केवल यही निवेदन करना चाहता हूं। मुझे यह जानकर संतोष हुआ है कि प्रस्तावक को ''तर्क संगत'' (Reasonable) शब्द निकाल देने में कोई आपत्ति नहीं है। मैंने जो संशोधन उपस्थित किया है उसे पढ़ने से आपको प्रकट होगा कि उसके दो भाग किये जा सकते हैं पहले तो मैं यहां या और कहीं ऐसा स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि जिससे भारत की कबायली जातियों की 3 करोड़ जनता को (यह संख्या 1941 की जनगणना के अनुसार है और यह ठीक है या गलत यह प्रश्न यहां नही उठता) विश्वास हो जाये कि मौजूदा कानूनों के अन्तर्गत जो संरक्षण उसे प्राप्त है, वह कायम रहेगा। धारा का वर्तमान स्वरूप कबायली जातियों के मन में गहरी आशंका उत्पन्न करती है। दोनों उप-समितियों को अभी पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् प्रदेशों में फिर से जाना पड़ेगा, उन्हें छोटा नागपुर भी जाना पड़ेगा। मैं आदिवासी दृष्टिकोण से इस बात पर जोर देना चाहता हूं, कि भूमि आदिवासियों के जीवन का आधार है। मेरा ख्याल है कि आसाम के प्रधानमंत्री मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि जब तक आदिवासियों को यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि उन्हें जो संरक्षण प्राप्त है उसमें इस धारा से कोई प्रभाव न पड़ेगा तब तक उन्हें तथा उप-समितियों को पृथक् तथा आंशिक रूप से पृथक् प्रदेशों में जाना असम्भव हो जायेगा। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे चुके हैं। अभी काफी भ्रम फैल चुका है। मैं तो चाहता हूं कि उप-समितियों की रिपोर्टें मिलने तक इस धारा को स्थगित रखा जाये। उदाहरण के लिये कहा जा सकता है कि हम जहां भी कही गये हैं वहीं कहा गया है कि अभी कई वर्ष तक आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल न किये जाने की आवश्यकता है। यदि मैं इस संरक्षण के लिये लड़ता हूं तो अधिकांश सदस्य हंसेंगे। आज ही प्रात:काल एक मित्र ने मुझसे बात करते समय कहा था—''क्या आप चाहते हैं कि सृष्टि के अंत तक आदिवासियों की भूमि की बेदखली न हो सके।'' आदिवासियों की महत्त्वपूर्ण मांगों का जैसा मजाक उड़ाया जाता है उसी का यह एक उदाहरण है। हम समानता की बातें करते रहे हैं। समानता की बात बड़ी भली जान पड़ती है, किन्तु जब आदिवासियों के भूमि पर अधिकार का प्रश्न उठता है तो मैं भेदभाव की मांग करता हूं। इसीलिये मैं अनुरोध करता हूं उन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने तक, जो आदिवासियों के सम्बन्ध में विचार करेंगी, इस धारा पर विचार स्थगित रखा जाये, क्योंकि वह ''.....आदिवासियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और इस सम्बन्ध में कोई भी निश्चय न किया जाये—चाहे यह निश्चय कितना भी अस्थायी क्यों न हो। मैं प्रस्तावक सरदार वल्लभभाई पटेल से अनुरोध करता हूं कि इस धारा तथा इसकी व्याख्याओं पर विचार स्थगित रखा जाये। अभी मैं अपना संशोधन आगे नहीं बढ़ाना चाहता।

***श्री खुर्शीद लाल** (संयुक्तप्रांत : जनरल): जो कुछ ऊपर कहा जा चुका है उसके कारण मैं अपना संशोधन (पूरक सूची 2—नम्बर 20) उपस्थित नहीं करता।

***डॉ. सुरेशचन्द्र बनर्जी (बंगाल : जनरल):** अभी जो निश्चय हुआ है उसके कारण मैं अपना संशोधन (पूरक सूची 2—नम्बर 21) उपयुक्त समय पर उपस्थित करूंगा।

***श्री खुर्शीद लाल:** मैं अपना संशोधन बाद में उपस्थित करने का अधिकार सुरक्षित रखना चाहता हूं। उसे धारा 8 के बाद स्वतंत्र धारा के रूप में रखा गया था। रिपोर्ट पर विचार होने के बाद उसे उपस्थित करने का अपना समस्त अधिकार मैं सुरक्षित रखना चाहता हूं।

***श्री के.एम. मुंशी:** श्रीमान्, अध्यक्ष, अब चूंकि धारा 8 के अन्य नियम नहीं बनें हैं और सिर्फ उप-धारा (ई) का नियम बचा है। इसका उल्लेख करने से पूर्व मैं उप-धारा (ई) के सम्बन्ध में अपना संशोधन उपस्थित करना चाहता हूं।

(1) धारा 8 (ई) में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें, प्राप्त करना (acquire) और सम्पत्ति (property) के मध्य ''रखना या बेच देना''।

(2) ''To'' और ''any occupation'' के मध्य ''exercise or carry on'' शब्दों को जोड़ दिया जाये। इन परिवर्तनों के साथ उप-धारा इस प्रकार पढ़ी जायेगी:

''प्रत्येक नागरिक को संघ के किसी भाग में रहने, बसने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने या बेचने और सम्पत्ति का हकदार होने और किसी भी रोजगार, व्यापार, कारबार या पेशा करने या चलाने का प्रत्येक अधिकार।''

अर्थात्, उनके सभी अंशों को जो धारा 5 में छोड़ दिए गए हैं, इस संशोधन द्वारा इस धारा में सम्मिलित कर लिया जायेगा। जहां तक मेरी जानकारी है एक और भी संशोधन ''तर्कसंगत'' शब्द को निकालने के सम्बन्ध में उपस्थित किया जा चुका है। मेरा तीसरा संशोधन भी इसी आशय का है। अन्तिम उपधारा के सम्बन्ध में एक संशोधन का हवाला दिया गया है कि कबायलियों (Tribes) के स्थान पर ''कबायली प्रदेश'' (Tribal areas) शब्दों का उपयोग किया जाये। नियमों में कबायलियों (Tribes) शब्द का उपयोग इस कारण किया गया है कि ऐसी जातियां हो सकती हैं, जो कबायली प्रदेशों के बाहर हों और नियम का कबायली प्रदेश के भीतर आने वाली और बाहर रह जाने वाली दोनों ही प्रकार की जातियों पर लागू होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में किसी आशंका की गुजाइश नहीं है। श्रीमान्, मुझे यह कहने की अनुमति दी जाये कि मेरे मित्र श्री जयपालसिंह ने जो संदेह प्रकट किए उनकी पूर्ति इस नियम से भली प्रकार हो जाती है। इसमें यह कहीं नहीं कहा गया है कि वर्तमान सभी नियमों को रद्द कर दिया जायेगा। इसके विपरीत धारा 2 के अनुसार संघ अथवा उसके किसी भाग में सभी वर्तमान नियम चालू रहेंगे, बशर्ते वे मौलिक अधिकारों के विरुद्ध न पड़ते हों।

***डॉ. पी.एस. देशमुख** (मध्यप्रांत और बरार : जनरल): मैं उस संशोधन का समर्थन करता हूं, जिसमें ''तर्कसंगत'' शब्द को निकालने का सुझाव पेश किया गया है। सम्पूर्ण धारा पर नये सिरे से विचार करने के लिए मेरे मित्र श्री जयपालसिंह ने उस पर विचार स्थगित रखने का जो सुझाव उपस्थित किया है मैं उसका भी समर्थन करता हूं। परन्तु उप-धारा के पहले अंश को बने रहने देने में मुझे कुछ भी आपत्ति नहीं है—अर्थात् ''संघ के किसी भी भाग में किसी भी नागरिक के रहने और बसने के अधिकार'' के सम्बन्ध में। परन्तु उपधारा के शेष अंश पर

[डॉ. पी.एस. देशमुख]

विचार स्थगित रखा जाये। इस विषय में अपने मित्र श्री जयपालसिंह का समर्थन करते हुए मेरे सामने कुछ विशेष बातें हैं। श्रीमान्, मैं आपका और इस सभा का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि सम्पूर्ण भारत, और विशेषकर भारत की साधारण जनता को आशा है कि भारतीय विधान का सुझाव निश्चित रूप से समाजवाद की ओर रहे। यदि इस धारा को उसके वर्तमान रूप में ही विधान में रहने दिया जायेगा तो भारतीय जनता के इस सन्देह को हम और भी बढ़ा देंगे कि यह विधान-परिषद् अविभाज्य रूप से सत्ताधारियों के स्वार्थों से सम्बद्ध है और ऐसी अवस्था में भारतीय विधान में समाजवादी सिद्धांतों के समावेश की कोई आशा नहीं की जा सकती। श्रीमान्, यह नियम विचित्र है। मैं कड़े शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, किन्तु यह बड़ी विचित्र बात है कि सम्पत्ति प्राप्त करने के सम्बन्ध में हम अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में सभी जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनता का, जो मुख्यतः किसान और मजदूर हैं, सभी जगह अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा शोषण होता है। यह बुराई इस सीमा तक बढ़ गयी है कि अब बहुसंख्यक समुदाय संरक्षण के लिए चिल्लाने लगे हैं। हमारे सामने मौलिक अधिकारों का जो मसविदा है उसमें हम उन्हीं अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा की व्यवस्था कर रहे हैं, जिनके विरुद्ध हमें रक्षा की जरूरत है, जिनके विरुद्ध श्रमजीवी वर्ग तथा किसानों को रक्षा की आवश्यकता है। मेरा निवेदन सभा से केवल इतना ही है कि हमें इस विषय पर कुछ अधिक विचार करना चाहिए। सरदार वल्लभभाई पटेल कह चुके हैं कि इस सभा के आगे जो अन्तःकालीन रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, वह आकस्मिक नहीं थी। यह भी माना जा चुका है कि समिति को प्रत्येक सम्भव दृष्टिकोण पर विचार करने का समय ही नहीं मिला। श्रीमान्, परिस्थिति के सम्बन्ध में यह कथन मिलने पर और सरदार पटेल द्वारा साथ के पत्र में लिखी हुई बातों को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि रिपोर्ट में ऐसी बहुत सी बातें हैं, जिन पर अभी और विचार होना आवश्यक है। जहां तक इस धारा का सम्बन्ध है, अनिश्चित सीमा तक सम्पत्ति प्राप्त करने के विरुद्ध मजदूरों को संरक्षण की जरूरत है, कृषकों को संरक्षण की आवश्यकता है यदि इस सम्बन्ध में प्रान्तों को ही कानून बनाने का अधिकार दिया जाये तो कैसा हो। इस विषय में छान-बीन करने की आवश्यकता है। प्रान्त निश्चय ही इसका स्वागत करेंगे। मेरे मत से केन्द्र को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने का परिणाम यह होगा कि एक तरफ आप केन्द्र में समाजवाद का प्रसार करेंगे नहीं और दूसरी तरफ भारत के भावी प्रान्तों को भी ऐसा करने से रोक देंगे।

***श्री सोमनाथ लाहिरीः** श्रीमान्, कबायली लोगों के विशेष संरक्षण के सम्बन्ध में श्री जयपालसिंह के सुझाव का मैं समर्थन करता हूं। ये लोग दलित तथा पिछड़े हुए हैं और इनकी रक्षा के लिए विशेष नियम होने जरूरी हैं। जैसा कि शायद प्रोफेसर शाह का मतलब है। यह समाजवादी रुख का प्रश्न नहीं है, किन्तु एक मध्यवर्गीय लोकतंत्र में भी कबायली जातियों की रक्षा के लिए नियम होने चाहिएं ताकि वे एक निश्चित स्तर तक पहुंच सकें। इसीलिए मैं श्री जयपालसिंह के सुझाव का समर्थन करता हूं।

***श्री आर.के. चौधरी** (आसाम : जनरल): मेरे माननीय मित्र श्री जयपालसिंह ने जो संशोधन उपस्थित किया है, उसका मैं विरोध करता हूं। मेरे विचार में सभा वह संशोधन स्वीकार करके एक अविवेकपूर्ण कार्य करेगी।

श्री यदुवंश सहाय (बिहार : जनरल): श्रीमान्, मुझे एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है, क्या यह सत्य नहीं है कि श्री जयपालसिंह ने अपना संशोधन आगे न बढ़ाकर सिर्फ कुछ आम बातें ही कही हैं?

***सभापति:** मेरे पत्र में उन्होंने संशोधन उपस्थित किया है।

श्री आर.के. चौधरी: मैं इस सम्बन्ध में भी कहने जा रहा है। माननीय श्री निकोलसराय के संशोधन के बाद मुख्य प्रस्ताव का जो स्वरूप है, मैं उसका समर्थन करता हूं किन्तु जो यह सुझाव पेश किया गया है कि वर्तमान कानून द्वारा प्राप्त विशेष संरक्षण कायम रहना चाहिए—इसमें मैं कुछ परिवर्तन करना चाहता हूं। एक विशेष रेगुलेशन चिनहिल रेगुलेशन है। इस परिषद् के बहुत ही कम सदस्यों को इस रेगुलेशन का पता होगा। इस चिनहिल रेगुलेशन के अनुसार किसी भी राजनीतिक अफसर को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह जिस भी व्यक्ति को अवांछनीय समझे बेदखल कर दे। इस रेगुलेशन को कुछ जगहों से हटा लिया गया है, किन्तु पहाड़ियों की कुछ जगहों में यह अभी तक जारी है। मेरी इच्छा तो केवल यही है कि नगरों व अन्य जगहों में लोगों को बेदखल करने का अधिकार प्राप्त कर के उनकी स्वतंत्रता में जो कमी की गई है उसका समुचित प्रबन्ध किया जाये।

इन नियमों या प्रतिबन्धों का उद्देश्य कबायली जातियों की रक्षा करना न होकर मैदान में रहने वाले अपने भाइयों से उन्हें पृथक् कर देना है, ताकि अंग्रेज उनका और भी शोषण कर सकें।

माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू (संयुक्तप्रांत : जनरल): श्रीमान्, मैं मानता हूं कि मैं कुछ उलझन में पड़ गया हूं। इन संशोधनों की बौछार के बाद, जिनमें से कुछ उपस्थित किये गये हैं, कुछ नहीं किये गये हैं और कुछ वापिस लिये गये हैं, और कुछ वापस नहीं लिये गये हैं। मैं नहीं कह सकता कि हमारी स्थिति क्या है? इस विषय में अन्य सदस्यों के क्या विचार हैं, मैं नहीं कह सकता। किन्तु जो वाद-विवाद चल रहा है उससे मेरे मस्तिष्क में बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है। जहां तक अनुमान लगा सकता हूं, वर्तमान स्थिति इस प्रकार है। धारा के तीन नियमों को निकाल दिया गया है और कुछ हलके परिवर्तन कर दिये गये हैं जहां तक (ई) का सम्बन्ध है, यह नियम इस अंतर के साथ बना रहने दिया गया है कि ''तर्कसंगत'' शब्द हटा दिया जाये और साथ ही कुछ अन्य परिवर्तन भी करने को कहा गया है। बहुत सी ऐसी बातें भी कही गई हैं, जिनका धारा से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि मैंने जो यह स्थिति समझी है, वह ठीक है या नहीं। मैं धारा का समर्थन इस अवस्था में कर रहा हूं कि पहले के तीन नियमों को निकाल दिया गया है और धारा (ई) के अंतिम नियम में से ''तर्कसंगत'' शब्द को निकाल कर उस नियम को बना रहने दिया गया है।

मुझे जान पड़ता है कि एक अन्य विषय में भी भ्रम फैला हुआ है। ऐसा जान पड़ता है, जैसे माननीय सदस्य भूले जा रहे हैं कि हम यहां मौलिक अधिकारों पर विचार कर रहे हैं। हम यहां किसी विशेष विषय पर कानून नहीं बना रहे

[माननीय पं. जवाहरलाल नेहरू]

हैं। हमारा ध्यान कितनी ही बातों की तरह खींचा गया है—इनमें से बहुत सी अच्छी बातें हैं जो होनी चाहिएं और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो न होनी चाहिएं, किन्तु उनका विधान के मौलिक अधिकारों से कुछ भी सम्बन्ध नहीं है। हम उन पर अलग से विचार कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो हम उन्हें विधान का अंग भी बना सकते हैं या और भी अच्छा हो यदि उनके सम्बन्ध में अलग से कानून बनाया जा सके। यह भ्रम तथा दोहरापन फैला हुआ है और इसीलिए यह कठिनाई उत्पन्न हुई है। किसी मौलिक अधिकार पर हमें किसी तत्कालीन कठिनाई को ध्यान में रखकर विचार न करना चाहिए, बल्कि यह ध्यान में रखना चाहिए कि उसे हमें विधान का स्थायी अंग बनाना है। इसके अलावा अन्य बातों पर—चाहे वे कितनी ही महत्वपूर्ण क्यों न हों—इस स्थायी या मौलिक दृष्टिकोण से विचार न करके अस्थायी दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए।

श्री जयपालसिंह ने अपना संशोधन उपस्थित तो किया है, पर मेरा अनुमान है कि उसे आगे नहीं बढ़ाया है। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूं, किन्तु मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसका मौलिक अधिकार से क्या सम्बन्ध है? मैं इस विषय में पूर्णतः सहमत हूं कि कबायली जाति वालों तथा उनके प्रदेशों की रक्षा होनी चाहिए। (वाह, खूब) और वर्तमान कानूनों को—मैं नहीं जानता कि ये कानून क्या हैं—आगामी कानून-व्यवस्था में समय आने पर सम्मिलित कर लेना चाहिए। किन्त इसकी कल्पना मौलिक अधिकार के रूप में करना एक बिल्कुल गलत बात होगी। श्री निकोल्स राय मुझसे एक बार नहीं, बल्कि कई बार उस स्थिति में विचारों का स्पष्टीकरण करने को कह चुके हैं, जो यहां मेरी नहीं है। उन्होंने अन्तःकालीन सरकार तथा विदेश-विभाग (External Office Dept.) का भी हवाला दिया है। मुझे हाउस को यह स्मरण कराने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यहां अन्तःकालीन सरकार के सदस्य या विदेश-विभाग के मंत्री की हैसियत से नहीं हूं, मैं तो यहां संयुक्त प्रान्त के लोगों का प्रतिनिधित्व करता हूं। यहां मैं अपनी प्रतिनिधित्वपूर्ण स्थिति को भूलकर यह कहना चाहता हूं—और मुझे विश्वास है कि सभा मुझसे सहमत होगी, और सच तो यह है कि परिषद् उद्देश्य सम्बन्धी अपने पहले प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए भी यह स्पष्ट कर चुकी है—कि कबायली जातियों की रक्षा करने का विशेष ध्यान रखा जाये—अपने उन अभागे भाइयों की रक्षा का, जिनका पिछड़े होने में अपना कोई दोष नहीं है, जो सामाजिक कुरीतियों के कारण इस अवस्था को पहुंचे हैं—और सम्भव है हम स्वयं, या हमारे पुरखे या और कोई इस दोष के भागी हों। हम तो अपना यह इरादा स्पष्ट करना चाहते हैं कि पिछड़ी हुई जातियों की उनके लुटेरे पड़ोसियों से रक्षा करने और उनकी उन्नति में अधिक-से-अधिक और उत्तम-से-उत्तम तरीके से सहायता पहुंचाने की हमारी इच्छा है। मैं श्री निकोल्स राय को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी सरकार में रहकर या और किसी तरह यदि कभी भी इस विषय में मुझे कुछ करना हुआ तो यह सहायता मैं अवश्य करूंगा। फिर भी मेरा ख्याल है कि यह मेरी या अन्य किसी व्यक्ति की इच्छा का प्रश्न नहीं है। मेरा यह भी विचार है कि भारत में जो भी सरकार होगी उसकी यही नीति होगी, क्योंकि आज की राजनीति में इसे एक मान्य सिद्धान्त के रूप में स्वीकार किये जाने की सम्भावना है और मेरा ख्याल है कि कोई भी सरकार, चाहे वह इस प्रश्न में दिलचस्पी ले अथवा

नहीं, इस सिद्धान्त के विरुद्ध नहीं जा सकती। इसलिए, श्रीमान्, मैं निवेदन करता हूं कि कबायली जातियों के प्रदेशों में दिलचस्पी लेने वाले लोगों को इस विषय में निश्चित होना चाहिए। मैं चाहता हूं कि वे इस विषय में सतर्क रहें, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति किसी अधिकार या स्वतंत्रता के विषय में सतर्क नहीं रहता तो वह अधिकार या स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है। परन्तु उनके सावधान रहने पर भी मैं उन्हें यही आश्वासन देता हूं कि सम्पूर्ण भारत की सहानुभूति उन्हीं के साथ है। *(हर्ष ध्वनि)*

***श्री के.एम. मुंशी:** भाषा को ठीक करने के विचार से मैं संशोधन का सुझाव उपस्थित करना चाहता हूं। भूमिका में मुझे एक शब्द का प्रयोग गलत जान पड़ता है।

There shall be liberty for the exercise of the following rights subject to public order and morality or to the existance of grave emergency.

निम्न अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता रहेगी, बशर्ते कि सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध कार्य न हुआ हो या घोर संकट न उत्पन्न हुआ हो।

मैं यह मौखिक प्रस्ताव पेश करता हूं कि ''to the existence of grave emergency'' के स्थान पर ''except in grave emergency'' शब्दों का प्रयोग किया जाये, क्योंकि पहला शब्द-समूह उचित नहीं जान पड़ता।

***माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल:** श्रीमान्, पहले पैराग्राफ में श्री मुंशी का मौखिक संशोधन मैं स्वीकार करता हूं। मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि अंतिम नियम से ''तर्क संगत'' शब्द निकाल दिया जाये। अब धारा जैसी कि मैंने उपस्थित की थी वैसी ही है, केवल (अ), (ब), और (स) नियमों को निकाल दिया गया है और श्री मुंशी ने कुछ शब्द जोड़ने का सुझाव किया है, जिसे मैं स्वीकार करता हूं। श्री निकोलस राय ने कबायली जातियों के प्रदेशों के सम्बन्ध में कुछ कहा है। अभी श्री लाहिरी का ''सुरक्षा (सिक्योरिटी) सम्बन्धी संशोधन शेष है। श्री लाहिरी ने संशोधन उपस्थित किया है कि ''संघ के बचाव (सिक्योरिटी)'' के स्थान पर ''संघ की सरुक्षा'' (डिफेंस) शब्द रख दिये जायें। मैं इस संशोध न का जोरदार विरोध करता हूं। मि. लाहिरी की तीव्र बुद्धि है। श्री लाहिरी जानते ही हैं कि बाह्य रक्षा से आन्तरिक रक्षा कहीं अधिक आवश्यक है। फिर भी वे बचाव (Security) के स्थान में सुरक्षा (Defence) रखते हैं जिससे बाह्य रक्षा तो हो जाये पर आन्तरिक रक्षा में गोल-माल रहे। बचाव (सिक्योरिटी) शब्द को जान-बूझकर चुना गया था। इसलिए उसके स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए।

माननीय रेवरेंड निकोलस की दिलचस्पी अल्पसंख्यक समुदायों की रक्षा में है और श्री जयपालसिंह को कबायली जातियों के प्रदेशों के संबंध में आशंकाएं हैं। जहां तक ''ट्राइब'' शब्द का सम्बन्ध है, मेरा मत है कि यह शब्द ठीक नहीं है। इसी प्रकार ''कबायली प्रदेश की रक्षा'' शब्द भी ठीक नहीं है। इनसे प्रकट होता है कि हम कुछ प्रदेशों की रक्षा के लिये उत्सुक हैं। दूसरे शब्दों में यदि किसी बाहरी गड़बड़ की आशंका हुई या प्रदेश के अतिक्रमण की सम्भावना हुई तो ''कबायली प्रदेश की रक्षा'' का दूसरा ही अर्थ होगा।

[माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल]

श्री जयपाल सिंह को आशंका है कि अभी जिन कानूनों द्वारा कबायली जातियों के लोगों को संरक्षण प्राप्त है, उन्हें हटा दिया जायेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि यह आशंका क्यों है? हम वर्तमान कानूनों को रद्द करने या नये कानून बनाने की कार्रवाई थोड़े ही कर रहे हैं। इस धारा का सम्बन्ध तो मौलिक अधिकारों से है। इसके द्वारा वर्तमान कानूनों को रद्द तो नहीं किया जाता। वर्तमान कानून-व्यवस्था को कहीं स्पर्श नहीं किया गया है, सिवाय उन स्थलों के जहां विधान की रक्षा के मौलिक अधिकारों के वे विरुद्ध पड़ती हो। इसलिए आशंका की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है। परन्तु मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं। लोग कबायली जातियों की रक्षा के लिए जो कुछ कह रहे हैं क्या उसका उद्देश्य यही है कि ये जातियां सदा इसी अवस्था में बनी रहें? मेरे ख्याल में ऐसा करना उनके हित में नहीं होगा। मेरा तो विचार है कि हमें कबायली जातियों को श्री जयपालसिंह के स्तर पर लाने का प्रयत्न करना चाहिए, न कि यह कि वे इसी रूप में बनी रहें, ताकि दस वर्ष बाद जबकि मौलिक अधिकारों पर पुनः विचार हो तो वे हमारे ही स्तर तक आ जायें और ''ट्राइब'' शब्द को ही हटा दिया जाये। ''ट्राइब'' (जातियों) के लिए पृथक् प्रबंध करना भारतीय संस्कृति के लिए शोभनीय नहीं है। ''ट्राइब'' का क्या अर्थ है? क्या ''ट्राइब्ज'' का जो कुछ अर्थ लगाया जाता है और क्या वास्तव में यही उनका मतलब है भी? इसका कुछ मतलब है और यह बना इसलिए कि पिछले 200 वर्ष से विदेशी शासक उन्हें अलग-अलग समूहों में कायम रखने का प्रयत्न करते रहे हैं ताकि उनके रीति-रिवाज आदि सभी कुछ भिन्न रहें, और जिससे कि विदेशियों को शासन में सुविधा रहे। शासक उनकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं चाहते थे। यही कारण है कि आज हमारे मध्य अस्पृश्यता का अभिशाप है, कबायली जातियों का अभिशाप है, सत्ताधारियों के स्वार्थों का अभिशाप है और इसके अतिरिक्त और भी कितने ही अभिशाप हैं। हम इन सभी को मौलिक अधिकार देने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारा प्रयत्न इन अभिशापों को हटाने का होना चाहिए। दस वर्ष बाद जब हम स्थिति पर पुनः विचार करें तो हमें ऐसी अवस्था में होने की आशा करनी चाहिए कि ''ट्राइब्ज'' शब्द की जगह कोई अन्य शब्द रख सकें। जिन कानूनों से उन्हें संरक्षण मिलता रहा है वे सभी बने हुए हैं। परन्तु क्या इन कानूनों से उनकी रक्षा हो सकी है? हम इन जातियों को उनकी वर्तमान अवस्था में नहीं रहने देना चाहते। उनकी रक्षा वर्तमान कानूनों द्वारा नहीं होगी। उनकी रक्षा तो हमारे अपने कार्य और हमारी नेकनीयती से ही होगी। इसलिए मैं श्री जयपालसिंह से अनुरोध करता हूं कि वे कोई आशंका न करें। स्वाधीन भारत में उन्हें भय की वैसी आशंका न रहेगी, जैसी पिछले 200 वर्ष में रही है।

***श्री जयपाल सिंहः** एक नियम सम्बन्धी आपत्ति है। श्रीमान्, सभापति, मुझे कबाइली जातियों के सम्बन्ध में वैसी कोई आशंका नहीं है, जैसी कि चर्चा माननीय सरदार पटेल ने मेरे सम्बन्ध में उठाई है। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मैंने जो कुछ कहा है उसका मतलब उन्होंने अपने ढंग से अलग ही लगाया है यह सत्य हो सकता है कि कबाइली जातियों की अवस्था में आगे जाकर सुधार हो जाये। सम्भव है वे मेरे स्तर तक आ जायें। परन्तु इसका यह मतलब तो नहीं लगाया जा सकता कि हम जिस नीति का अनुसरण करते रहे हैं उसे और भी रक्षापूर्ण या सहानुभूतिपूर्ण न बनाया जाये। मैं जानता हूं कि दस वर्ष बाद हम उस पर फिर से विचार करेंगे।

***अध्यक्ष:** अब मैं संशोधन रखूंगा। चूंकि प्रस्तावक ने अधिकांश संशोधनों को स्वीकार कर लिया है इसलिए मैं समझता हूं कि सभा ने भी उन्हें स्वीकार कर लिया है। *(आवाजें ''हां'')*

परिषद् ने 8 (अ), 8 (ब) और 8 (स) नियमों का निकाला जाना स्वीकार कर लिया।

परिषद् ने धारा 8 की पंक्ति 2 में ''to the existence of'' के स्थान पर ''except in'' शब्द रखने का संशोधन भी स्वीकार कर लिया।

अब मैं सभा के आगे श्री लाहिरी का संशोधन उपस्थित करता हूं इस संशोधन द्वारा धारा 8 के पहले पैरा में यूनियन के बचाव (Security of Union) के स्थान पर यूनियन की सुरक्षा (Defence of Union) शब्द रखने का सुझाव किया गया है।

संशोधित रूप में वह इस प्रकार होगा:

''निम्न अधिकारों का उपयोग करने की स्वतंत्रता रहेगी बशर्ते कि सार्वजनिक सुव्यवस्था और नैतिकता के विरुद्ध कार्य न हुआ हो या ऐसे घोर संकट की घोषणा सम्बन्धित संघ या इकाई (प्रान्त या रियासत) की सरकार द्वारा न की गयी हो, जिससे कि संघ या इकाई की सुरक्षा के लिए संकट उपस्थित हो गया हो।''

संशोधन अस्वीकार कर दिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं उप-धारा (ई) के संशोधन को लेता हूं। संशोधित रूप में वह इस प्रकार होगा:

''प्रत्येक नागरिक को संघ के किसी भाग में रहने और बसने, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने या बेचने और सम्पत्ति का हकदार होने और किसी भी रोजगार, व्यापार कारबार या पेशा करने या चलाने का अधिकार।''

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं उप-धारा (ई) के नियम पर आता हूं। संशोधन रीजनेबल (तर्कसंगत) शब्द निकालने के संबंध में है।

संशोधन स्वीकार किया गया।

***अध्यक्ष:** अब मैं सम्पूर्ण खंड को उपस्थित करता हूं। मेरे विचार में धारा का फिर से पढ़ा जाना आवश्यक है।

धारा संशोधित रूप में पास हुई

धारा 9—स्वाधीनता के अधिकार

अध्यक्ष: अब हम धारा 9 पर आते हैं।

श्री के.एम. मुंशी: मेरा सुझाव है कि ''कानूनों का समान रूप से लागू करना'' (the equal treatment of the laws) शब्दों के स्थान पर ''कानून के प्रति सबकी समानता (equality before the law) शब्द रखे जायें।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** जहां तक नियम का सम्बन्ध है, उसे हटा देने के लिये एक संशोधन की सूचना मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य संशोधनों की भी सूचनाएं मिल चुकी हैं।

(सर्वश्री दिवाकर, मोहनलाल सक्सेना और महावीर त्यागी ने अपने संशोधन उपस्थित नहीं किये)

***अध्यक्षः** अब मैं उस संशोधन पर आता हूं, जिसमें नियम हटा देने का सुझाव है।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं संशोधन पेश करता हूं कि नियम हटा दिया जाये।

संशोधन स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्षः** अब मैं धारा को संशोधित रूप में उपस्थित करता हूं।

धारा 9 संशोधित रूप में पास हो गया।

***अध्यक्षः** अब हम कार्यक्रम-निर्धारिणी समिति (Order of Business Committee) की रिपोर्ट पर विचार करेंगे। मौलिक अधिकार सम्बन्धी आगे आने वाली धाराओं पर बहस कल फिर आरम्भ होगी। अब श्री मुंशी प्रस्ताव उपस्थित करें।

***श्री के.एम. मुंशीः** श्रीमान् अध्यक्ष, मैं निम्न प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं—

> ''निश्चय हुआ कि 25 जनवरी, 1947 के प्रस्ताव के अनुसार विधान-परिषद् का आगे आने वाला कार्यक्रम निर्धारित करने की सिफारिश करने के लिए जो कमेटी नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट पर परिषद् विचार करे।''

इस प्रस्ताव को उपस्थित करते हुए मुझे कुछ बातें कहनी हैं। रिपोर्ट सभा के सामने है और इतनी देर होने के कारण उसे पढ़कर मैं सभा को कष्ट नहीं देना चाहता। यह रिपोर्ट जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, एक अन्तःकालीन रिपोर्ट है हमसे कार्यक्रम के सम्बन्ध में अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित करना हमारे लिए असम्भव हो गया और अब हम अंतिम रिपोर्ट बाद में उपस्थित करने की अनुमति सभा से चाहते हैं इसका कारण सभी सदस्यों को स्मरण ही होगा। इस देश की राजनीतिक अवस्था में तेजी से परिवर्तन हो रहा है और इन परिवर्तनों का इस परिषद् के कार्यक्रम पर प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इसी लिए कमेटी के लिए अपनी अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित करना असम्भव हो गया।

दो बातें, जैसा कि श्रीमान् आप तथा पंडित जी दोनों ही कह चुके हैं, पिछले कई सप्ताहों में हमारे सामने आ चुकी हैं। इनमें से पहली बार भारत के दो प्रान्तों बंगाल और पंजाब में बढ़ती हुई अरक्षा है, जिसके कारण इन अभागे प्रान्तों के विभाजन का प्रश्न हमारे सामने आ गया है, जैसाकि श्रीमान्, आप अपने प्रारम्भिक भाषण में कह चुके हैं इस कारण परिषद् के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो सकते हैं और यह भी एक वजह थी जिससे हम अपनी अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित न कर सके। दूसरी दुःखद बात यह है कि मुस्लिम लीग अभी तक विधान परिषद् में नहीं आ सकी है और गोकि लीग के साथ प्रत्येक प्रकार की रियासत की गयी है और उसके प्रत्येक विचार की कद्र की गयी है और जहां तक विदेश के सबसे बड़े राजनीतिक दल ने उसे आमन्त्रित किया है फिर भी लीग के रुख में कोई परिवर्तन होता हुआ नहीं दीख रहा है। इसके कारण विधान परिषद् के कार्यक्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है।

विधान परिषद् तथा कांग्रेस दोनों ही बारम्बार कह चुकी हैं कि वे देश के अनिच्छुक भागों पर कोई विधान लादना नहीं चाहती और यदि कुछ अनिच्छुक प्रदेश सम्मिलित न होना चाहें तो यह वांछनीय नहीं है कि विधान परिषद् अनिश्चित काल तक उनकी परीक्षा करती रहे। अब कार्य के क्रम में कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गए हैं और इसीलिए अन्त तक के लिए कार्यक्रम बनाना असम्भव हो गया है। परन्तु साथ ही इसका यह मतलब भी नहीं है कि यह सभा जो विधान बनावेगी उसमें सम्पूर्ण भारत का विचार न करेगी। इसमें इस आधार पर विधान तैयार करने की आशा है कि कभी ऐसा समय आ सकता है जबकि बाहर रहने वाले अनिच्छुक प्रदेश भी या ऐसे प्रदेश भी जो बाहर रहना चाहते हैं भारतीय संघ में सम्मिलित हो जायेंगे। हम जो विधान बनाने जा रहे हैं वह ऐसा होगा, जिसमें बाद में वे प्रदेश सम्मिलित हो सकेंगे तो सम्मिलित होने का निश्चय करेंगे। इन बातों के कारण कमेटी को अन्तिम रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए समय की आवश्यकता है।

कमेटी कार्यक्रम निर्धारित करते समय दूसरी जिस बात से प्रभावित हुई है वह सम्राट् की सरकार द्वारा पार्लियामेंट में दिया हुआ 20 फरवरी, 1947 का वक्तव्य है। इससे एक अवधि निर्धारित हुई है। इसलिए कमेटी ने निवेदन किया है कि विधान परिषद् को अपना निर्माण कार्य अधिक से अधिक 31 अक्तूबर तक समाप्त कर देना चाहिए। कार्य शीघ्रता से होने के लिए अवधि निश्चित करना आवश्यक है। यदि सभा इस रिपोर्ट को स्वीकार करेगी तो दो कमेटियां नियुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव उपस्थित किया जायेगा। ये कमेटियां जांच पड़ताल का कार्य साथ-साथ आरम्भ करेंगी। इनमें से एक संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों पर और दूसरी आदर्श प्रांतीय विधान के सिद्धांतों पर विचार करेगी। आशा की जाती है कि इन कमेटियों की तथा अन्य कमेटियों की रिपोर्टें कदाचित् उस कमेटी की रिपोर्ट को छोड़कर जो कबायली जातियों के सम्बन्ध में छानबीन करेगी—जून के तीसरे सप्ताह तक तैयार हो जायेगी। इस रिपोर्ट में यह कार्यक्रम निर्धारित किया गया है कि अल्पसंख्यक कमेटी और सलाहकार कमेटी की ही नहीं, बल्कि इन दोनो कमेटियों की भी रिपोर्ट परिषद् के जून, जुलाई अधिवेशन में एक श्वेत पत्र के रूप में—यदि मुझे यह प्रसिद्ध शब्द उपयोग करने दिया जाये—उपस्थित कर दी जायें। तब संघ तथा प्रान्तों के विधान की मुख्य बातों के सम्बन्ध में निश्चय किये जा सकेंगे।

विधान परिषद् के नियमों के अनुसार हमें अपने प्रारम्भिक निश्चयों को पहले प्रान्तों में भेजना चाहिए ताकि प्रान्तीय धारा सभाएं विचार करके उस पर अपने मत प्रदान कर सकें। इसमें दो महीने लग जायेंगे और सम्भवतः जुलाई के मध्य तथा सितम्बर के मध्य के बीच का समय प्रान्तीय धारा सभाओं द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने में व्यतीत हो जायेगा। इसके उपरान्त प्रस्ताव किया गया है कि सितम्बर के मध्य या अन्त में परिषद् की बैठक पुनः हो और फिर हम 31 अक्तूबर तक अपने शेष कार्य को समाप्त करें। विधान की मुख्य बातों के सम्बन्ध में निश्चय होने के उपरान्त की अवधि में कानूनों के मसविदे तैयार होने का कार्य भी साथ ही साथ आरम्भ हो जाना चाहिये ताकि परिषद् के अक्टूबर वाले अधिवेशन में सभा के सामने विधान का सम्पूर्ण मसविदा विचार के लिए उपस्थित किया जा सके। यह कार्यक्रम की रूपरेखा है और मुझे आशा है कि सभा इसे स्वीकार कर लेगी।

***अध्यक्षः** मेरे ख्याल में रिपोर्ट के सम्बन्ध में अब और कुछ कहा जाना शेष नहीं है।

***श्री के.एम. मुंशीः** रिपोर्ट स्वीकार होनी चाहिए।

***अध्यक्षः** मैं रिपोर्ट को सभा का मत जानने के लिए उपस्थित करता हूं।

***श्री के. संतानम्ः** मत किस सम्बन्ध में दिया जाये? रिपोर्ट सिर्फ दर्ज होनी चाहिए।

***माननीय श्री सी. राजगोपालाचार्यः** यह एक दूसरी संस्था की रिपोर्ट हमारे सामने उपस्थित की गई है। हम इसे दर्ज करते हैं।

***श्री के.एम. मुंशीः** मैं क्षमा चाहता हूं। मेरा प्रस्ताव यही था कि सभा रिपोर्ट पर विचार करे, क्योंकि हम सभा की अनुमति बाद में फिर रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए चाहते हैं। सभा इस सम्बन्ध में निश्चय अवश्य करे। इसीलिए, यदि आवश्यक हो, तो मैं बाकायदा सभा द्वारा रिपोर्ट स्वीकृत होने का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं।

***श्री के. संतानम्ः** इसका मतलब यह हुआ कि हम सम्पूर्ण रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं। माननीय सदस्य कमेटियों की नियुक्ति का प्रस्ताव कर सकते हैं, किन्तु रिपोर्ट तो दर्ज ही होनी चाहिए। हम कमेटियों के प्रस्ताव को तो स्वीकार करते हैं, किन्तु रिपोर्ट के, यद्यपि विषय के संबंध में दी हुई तारीखों या किसी खास पैराग्राफ से हम वचनबद्ध नहीं हो सकते।

***श्री एच.वी. कामतः** प्रस्ताव रिपोर्ट पर विचार के लिए है उसे स्वीकार करने के लिए नहीं है। इसमें केवल कहा गया है कि रिपोर्ट पर केवल विचार किया जाये—स्वीकृति का कोई प्रश्न नहीं है।

***श्री आर.के. सिधवाः** रिपोर्ट सिर्फ सभा की सूचना के लिए है। परन्तु यदि हम सभा द्वारा कोई निश्चय चाहते हैं, तो तारीख आदि के सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। यह कहा ही गया है कि कार्य अक्टूबर के अंत तक समाप्त होना चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि तब तक कार्य समाप्त हो जाये, किन्तु हमें कितनी ही बातों का विचार करना है। नियमों के अनुसार विधान का मसविदा विभिन्न प्रांतों में जाना चाहिए और नहीं कहा जा सकता कि हम जो भी तारीखें निश्चित करेंगे उन तारीखों तक प्रांत अपना विचार-कार्य समाप्त कर देंगे। मैं भी चाहता हूं कि कार्य निर्धारित तारीखों तक समाप्त हो ले, किन्तु अनुभव से प्रकट हो चुका है कि निर्धारित तारीखों में बहुधा परिवर्तन करना पड़ता है। प्रत्येक अवसर पर तारीख बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करना अनुचित जान पड़ता है। मैं सिर्फ यही निवेदन करता हूं कि जो भी नियम हम बनायें उनका हमें स्वयं आदर करना चाहिए और निर्धारित तारीखों तक ही कार्य समाप्त करना चाहिए, किन्तु वर्तमान परिस्थिति को दृष्टि में रखते हुए हमारे लिए तारीख निश्चित करना ही उत्तम होगा।

***अध्यक्षः** इससे मैं यही अनुमान लगाता हूं कि रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। क्या यही सभा का मत है?

परिषद् ने सहमति प्रदान कर दी।

रिपोर्ट दर्ज कर ली गयी।

***अध्यक्षः** रिपोर्ट में एक या दो ऐसी बातें हैं जो विचारणीय हैं। पहली बात

यह है कि कमेटी बाद में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करना चाहती है। मुझे आशा है कि परिषद् इस विषय में सहमत है।

दूसरी बात यह है कि कमेटी सिफारिश करती है कि दो पृथक् कमेटियां नियुक्त की जायें, जिनमें संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों के विषय में रिपोर्ट उपस्थित करेगी और दूसरी आदर्श प्रान्तीय विधान के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करेगी।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया** (मद्रास : जनरल): यह सुझाव एक पृथक् प्रस्ताव के रूप में हमारे सामने आवेगा।

***अध्यक्ष:** क्या यह अभी उपस्थित किया जाये?

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** यह एक अधिक पूर्ण (fuller) प्रस्ताव होगा क्योंकि कमेटी की सदस्य-संख्या का निर्देश करना होगा।

***अध्यक्ष:** क्या यह अभी उपस्थित किया जाये?

***श्री आर.के. सिधवा:** प्रस्ताव कल उपस्थित किया जा सकता है।

***एक माननीय सदस्य:** आप अभी प्रस्ताव पर विचार कर सकते हैं।

***अध्यक्ष:** मैं सभी के निर्णय क अनुसार कार्य करने को तैयार हूं।

***कुछ माननीय सदस्य:** अभी उपस्थित कर दीजिए।

***श्री के.एम. मुंशी:** मैं प्रस्ताव उपस्थित करना चाहता हूं:

''यह परिषद् निश्चय करती है कि कार्यक्रम निर्धारिणी कमेटी (Order of Business Committee) की रिपोर्ट में उल्लेखित सिफारिश के अनुसार सभापति निम्न कमेटियों को नामजद करें और उन्हें आदेश प्रदान करें कि ये कमेटियां अपनी रिपोर्टें अगले अधिवेशन से पूर्व उपस्थित कर दें:

(1) एक कमेटी संघ विधान के मुख्य सिद्धान्तों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए जिसमें 15 से अधिक सदस्य न रहें, और

(2) एक कमेटी आदर्श प्रान्तीय विधान तैयार करने के लिए जिसमें 25 से अधिक सदस्य न रहें।

इससे रिपोर्ट के पृष्ठ 2 में की हुई सिफारिश पूरी होती है।

अध्यक्ष: इस सभा के समक्ष प्रस्ताव यह है:-

''यह परिषद् निश्चय करती है कि कार्यक्रम निर्धारिणी कमेटी (Order of Business Committee) की रिपोर्ट में उल्लेखित सिफारिश के अनुसार सभापति निम्न कमेटियों को नामजद करें और उन्हें आदेश प्रदान करें कि ये कमेटियां अपनी रिपोर्टें अगले अधिवेशन से पूर्व उपस्थित कर दें:

(1) एक कमेटी संघ विधान के मुख्य सिद्धांतों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट उपस्थित करने के लिए, जिसमें 15 से अधिक सदस्य न रहें, और

(2) एक कमेटी आदर्श प्रांतीय विधान तैयार करने के लिए, जिसमें 25 से अधिक सदस्य न रहें।''

***श्री सी.एम. पूनाचा** (कुर्ग): श्रीमान्, अध्यक्ष, संघ विधाान के मुख्य सिद्धांत निर्धारित करने तथा आदर्श प्रांतीय विधान तैयार करने के लिए जो दो कमेटियां नियुक्त की जा रही हैं। उनके विचारणीय विषयों के सम्बन्ध में मुझे एक सुझाव उपस्थित करना है। श्रीमान्, भारत में चीफ कमिश्नरों के चार प्रांत हैं, जिनका शासन केन्द्र से होता है। संघ विधान के भावी सिद्धांत निर्धारित होते समय साथ ही इस बात का भी फैसला हो जायेगा कि भावी संघ सरकार की आधीनता में ये केन्द्रीय शासित प्रदेश रहेंगे या नहीं। 16 मई सन् 1946 के मन्त्रिमिशन के वक्तव्य में रक्षा, विदेश विषय और यातायात साधन ही संघ सरकार के लिए सुरक्षित रखे गये थे। मेरा ख्याल है कि इस आधार पर भावी संघ सरकार का सम्बन्ध प्रांतों की शासन सम्बन्धी विस्तार की बातों से बिल्कुल न रहेगा और प्रांतों में चीफ कमिश्नरों के प्रांत भी सम्मिलित हैं। यह स्थिति होने के कारण कमेटी हम संघ शासन के मुख्य सिद्धांत निर्धारित करने के लिए नियुक्त कर रहे हैं उसे इस प्रश्न पर विचार करके इस सम्बन्ध में सिफारिश करनी होगी। इसलिए कहा जा सकता है कि भावी संघ विधान के सिद्धांत निर्धारित करते समय हमें इस प्रश्न का भी निपटारा करना पड़ेगा।

अब मैं दूसरी कमेटी के कार्य के प्रश्न को लेता हूं, जो आदर्श प्रान्तीय विधान के मसविदा बनायेगी। मेरा मत है कि इस कमेटी के कार्य क्षेत्रों में चीफ कमिश्नरों के प्रांतों के अस्तित्व तथा कार्यों का प्रश्न भी आ जाता है, क्योंकि प्रांतों का न्यूनतम प्रदेश, जनसंख्या, आय, न्याय-व्यवस्था, कर-निर्धारण, प्रतिनिधित्व, शासन तथा अन्य विषयों के सिद्धांत तय करते समय इन लघु शासन व्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट है—और मैं मान लेता हूं कि यहां उपस्थित सभी लोग इस बात को स्वीकार करते हैं—कि इन दोनों ही कमेटियों के कार्य क्षेत्र में चीफ कमिश्नरों के प्रांतों का प्रश्न भी आ जायेगा। इसीलिये श्रीमान्, में सुझाव उपस्थित करता हूं कि तीन सदस्यों की—संघ विधान कमेटी में से एक और आदर्श प्रांतीय विधान कमेटी में से दो—एक सब-कमेटी नियुक्त की जाये, जो चीफ कमिश्नरों के प्रांतों में जाकर उनकी समस्या की अच्छी तरह जांच-पड़ताल करे और उपर्युक्त दोनों कमेटियों को अपनी रिपोर्ट तैयार करने में सहायता प्रदान करे। ऐसा करने से सेक्शन की बैठकों में भी इन प्रश्नों पर शीघ्रता से विचार हो सकेगा। सेक्शन 'ए' मैं दिल्ली, अजमेर, मारवाड़ा और कुर्ग और सेक्शन 'बी' में बिलोचिस्तान चीफ कमिश्नरों के प्रांत हैं। इन छोटे प्रांतों की समस्याओं की विस्तार से छानबीन केवल उपयोगी ही न होगी बल्कि इससे सेक्शनों का कार्य भी तेजी से हो सकेगा।

श्रीमान्, जहां तक मेरी अपनी स्थिति का सम्बन्ध है, मैं तो विधान परिषद् के लिए निर्वाचित होते समय आश्वासन दे चुका हूं कि कुर्ग के भविष्य के सम्बन्ध में कुछ निर्णय होने से पूर्व कुर्ग-वासियों से राय अवश्य ली जायेगी। इस प्रकार इन प्रान्तों में कमेटी के जाने से समस्या के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन भी हो सकेगा। साथ-ही-साथ वहां की जनता से सम्पर्क स्थापित करने का अवसर भी मिल सकेगा।

श्रीमान्, इन शब्दों द्वारा मैं सुझाव उपस्थित करता हूं कि इन दोनों कमेटियों के विचारणीय विषयों के अन्तर्गत चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का प्रश्न भी सम्मिलित कर लिया जाये और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए इन दोनों कमेटियों की एक सब-कमेटी नियुक्त की जाये, जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है।

***डॉ. बी. पट्टाभि सीतारमैया:** श्रीमान्, इन दो कमेटियों की नियुक्ति के प्रस्ताव का मैं स्वागत करता हूं और मैं आपका ध्यान इस बात की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि मैं भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के पुनर्विभाजन के प्रस्ताव की सूचना दे चुका हूं। इस समस्या पर समय आने पर विचार होगा। मैं नहीं जानता कि दल की कार्यवाही का उल्लेख करना कहां तक नियमानुकूल होगा, फिर भी यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दल की तरफ से आश्वासन मिल चुका है कि इस विषय को इन दोनों कमेटियों के सुपुर्द कर दिया जायेगा। मेरे ख्याल में अब यह कहने का अवसर आ गया है कि ये दोनों कमेटियां अपने से सम्बन्ध रखने वाले इस विषय पर सिर्फ विचार ही न करेंगी बल्कि ये भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के पुन: विभाजन के प्रश्न पर भी विचार कर सकेंगी।

***अध्यक्ष:** (श्री मुंशी से) क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

***श्री के.एम. मुंशी:** इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

***अध्यक्ष:** दो बातें उठाई गई हैं। पहली श्री पूनाचा ने उठाई है कि इन कमेटियों को चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों के विधान पर विचार करना चाहिए और इन दोनों कमेटियों की एक सब-कमेटी होनी चाहिए जो चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों की समस्या पर विचार करे। दूसरा सुझाव डॉ. पट्टाभि सीतारमैया का है कि ये कमेटियां भाषाओं के आधार पर नये प्रान्तों के संगठन के प्रश्न पर भी विचार करें। मैं समझता हूं कि ये दोनों कमेटियां इन विषयों पर तथा अन्य विषयों पर भी, जैसे-जैसे वे उठते जायेंगे, विचार करेंगी और उचित समय पर अपनी सिफारिशें करेंगी। यह स्मरण रखने की बात है कि यहां सिर्फ प्रान्तों के लिए एक आदर्श विधान की और संघ के लिए एक विधान की आवश्यकता है। भाषाओं के आधार पर जितने प्रान्त बनेंगे उन पर समान रूप से प्रान्तों के आदर्श विधान को अमल में लाया जा सकेगा। परन्तु आदर्श विधान लागू करने के लिए यह आवश्यक न होगा कि प्रान्त भाषा के ही आधार पर संगठित किये गये हो। यह भी सम्भव है कि यह विषय संघ विधान के सिद्धान्त निर्धारित करने वाली दूसरी कमेटी के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत पड़े और सम्भवत: यह दूसरी कमेटी ही भाषाओं के आधार पर प्रान्तों के बंटवारे का सुझाव उपस्थित करे। मैं समझता हूं कि यह कमेटी इन सभी प्रश्नों पर विचार करेगी और चीफ कमिश्नरों के प्रान्तों का प्रश्न भी उसी के आगे उठाया जायेगा।

***प्रो. एन.जी. रंगा** (मद्रास : जनरल): तो क्या इसका यह मतलब हुआ कि मान लीजिये कि ये दोनों ही कमेटियां इस परिणाम पर पहुंचे कि इस प्रश्न पर विचार ही न किया जाये और न कोई सुझाव ही उनके सम्बन्ध में उपस्थित किये जाये तो क्या यह सभा.....।

***अध्यक्ष:** नहीं यह नहीं। कमेटियां अपनी सिफारिशें करेंगी। यदि कमेटियों की सिफारिशों में कोई गलतियां या त्रुटियां हैं तो उनमें सुधार करने का परिषद् को सदा अधिकार रहता है।

अब यह प्रस्ताव सभा का मत जानने के लिए उपस्थित किया जाता है

प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया।

***अध्यक्ष:** मेरे ख्याल में अब हमें उठना चाहिए। हम कल प्रात:काल 9 बजे फिर एकत्र होंगे।

इसके उपरान्त परिषद् की बैठक बृहस्पतिवार, 1 मई, 1947 के दिन के 9 बजे तक के लिए स्थगित हो गई।

परिशिष्ट

भारतीय विधान-परिषद्

कार्य-व्यवस्था कमेटी (Order of Business Committee) की रिपोर्ट

विधान-परिषद् के और कार्यक्रम की व्यवस्था की सिफारिश करने के लिए, परिषद् के 25 जनवरी सन् 1947 ई. के प्रस्ताव (for resolution) द्वारा नियुक्त कमेटी के, हम निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता सदस्य, अपनी यह रिपोर्ट पेश करते हैं।

हमारी बैठक सन् 1947 ई. की 5वीं मार्च को और 21वीं, 23वीं तथा 27वीं अप्रैल को हुई। 23वीं अप्रैल की बैठक को छोड़कर, अन्य सारी बैठकों में पं. जवाहरलाल नेहरू विशेष आमंत्रण से उपस्थित थे।

20वीं फरवरी सन् 1947 को पार्लियामेंट में दिये गये, सम्राट् की सरकार के वक्तव्य से, परिषद् के कार्य तथा कार्यवाही में तात्कालिक शीघ्रता की आवश्यकता आ गई है और हमारे मत से यह अनिवार्य है कि यह वर्ष समाप्त होने से काफी पहले, विधान बन कर तैयार हो जाये। कार्यक्रम की व्यवस्था निर्धारित करने और समय सूची (टाइम टेबुल) प्रस्तुत करने का काम फिर भी किसी प्रकार सरल नहीं है। राजनीतिक स्थिति बड़ी तेजी के साथ बदलती जा रही है और जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनका असर अनिवार्यत: परिषद् के काम पर पड़ रहा है। इसलिए इस समय हम इस स्थिति में नहीं हैं कि निकट भविष्य के सिवाय अन्य बातों के सम्बन्ध में अपनी आखिरी सिफारिश पेश कर सकें। हमारा अनुरोध है कि और रिपोर्ट बाद में पेश करने की हमें अनुमति दी जाये।

हम समझते हैं कि 28 अप्रैल को परिषद् की बैठक में उसके सामने निम्नलिखित कमेटियों की रिपोर्ट होंगी—

(1) विधान-परिषद् द्वारा 21.12.46 को नियुक्त 'देशी राज्य कमेटी' (States Committee)

(2) विधान-परिषद् द्वारा 25.1.47 को नियुक्त 'यूनियन शासनाधिकार कमेटी' (Union Powers Committee)

(3) विधान-परिषद् द्वारा 24.1.47 को केवल मौलिक अधिकारों के विषय में नियुक्त सलाहकार कमेटी (Advisory Committee)

हमारी सिफारिश है कि परिषद् द्वारा इन रिपोर्टों का कार्य समाप्त कर लेने के बाद, दो पृथक् कमेटियां नियुक्त की जायें, जिनमें से एक यूनियन-विधान के मुख्य सिद्धान्तों के विषय में अपनी रिपोर्ट दे और दूसरी, एक आदर्श प्रान्तीय-विधान के मुख्य सिद्धांतों की रिपोर्ट तैयार करे। हमारा ख्याल है कि दो कमेटियां रखने से, जिनमें बहुतेरे सदस्य शायद दोनों ही के मेम्बर होंगे और साथ-साथ काम करते हुए यूनियन तथा प्रांतीय विधानों के अंतर्सम्बन्धित सिद्धांतों पर विचार कर सकेंगे, अनेक लाभ होंगे। इन कमेटियों का कार्य यूनियन विधान-निर्मातृ सभा के अथवा

उसके 'भागों' (सेक्शनों) के कार्य में सुविधा प्रदान करने तथा शीघ्रता के साथ कार्य सम्पन्न करने के लिए एक तरह से खोजबीन करने का होगा। हमारी सिफारिश है कि ये कमेटियां नियुक्त हो जाने के बाद परिषद् की बैठक अध्यक्ष द्वारा उसकी इच्छानुसार निश्चित की जाने वाली किसी तारीख तक के लिए स्थगित कर दी जाये। कार्यक्रम में इस नरमी का सुझाव हमने इसलिए किया है, ताकि परिषद् उन कठिनाइयों से बच जाये, जो उसकी बैठक की तारीख पहले से निश्चित कर दिये जाने पर उसे उठानी होंगी, और साथ ही हमारा यह भी अनुभव है कि कमेटियों का कार्य सदैव एक निश्चित समय के अनुसार नहीं पूरा हो पाता।

विधान-परिषद् को अपना कार्य इस वर्ष अक्तूबर महीने के अन्त तक समाप्त कर देना चाहिये। विभिन्न कमेटियों की रिपोर्टों पर और तत्पश्चात् परिषद् के 'भागों' (सेक्शनों) में विभाजित किये जाने के प्रश्न पर विचार करने के लिए जून के अन्त या जुलाई के आरम्भ में उसकी बैठक बुलाना आवश्यक होगा। अन्तिम रूप से विधान का अन्तिम स्वरूप निश्चित करने के लिए 'परिषद्' की एक बैठक सितम्बर में की जानी चाहिए।

(ह) के.एम. मुंशी
(ह.) एन. गोपालस्वामी
(ह.) विश्वनाथ दास

नई दिल्ली,
27 अप्रैल, सन् 1947 ई.